माहितीचा अधिकार


महाराष्ट्रशासन

वैद्यकीयशिक्षण व औषधीद्रव्येविभाग, मंत्रालय, मुंबई

संचालनालय, वैद्यकीयशिक्षण व संशोधन, मुंबई अंतर्गत

१)सेन्ट जॉर्जेस रुग्णालय,मुंबई, २) नागरी स्वास्थ केंद्र वांद्रे, मुंबई, ३) परिचर्या शिक्षण संस्थ,मुंबई

९) शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय,मुंबई १०) आयुष,संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई

११) म.आ पोतदार रुग्णालय, मुंबई १२) रा.आ.पोदार वैद्यक महाविद्यालय,(आयु), मुंबई

दुरध्वनीक्रमांक:-०२२ २३७३५५५

ई मेल: deangmcjjh@gmail.com वेबसाईट : www.ggmcjjh.com


## अधिष्ठाता, ग्रॅन्ट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय,मुंबई गट-ड (चतुर्थश्रेणी) संवर्गातील विविध पदे सरळसेवेने भरण्यासाठी

## जाहिरात सन २०२५

महाराष्ट्रं राज्य शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई अधिनस्त संचालनालय, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई अंतर्गत रुग्णालय तसेच संस्थेतील गट ड (वर्ग-४) संवर्गातील रिक्त पदे भरण्याकरीता ऑनलाईन (Computer Based Test) स्पर्धा परीक्षेसाठी अर्हता प्राप्त उमदेवारांकाडून विहित नमुण्यात अर्ज मागविण्यात येत आहेत. उमेदवरांची शैक्षणिक अर्हता, पदांचा तपशिल , शासनाच्या नियमानुसार संवैधानिक आरक्षण व समांतर आरक्षण, स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यासक्रम आणि अर्ज करण्यासाठी मार्गदर्शक सुचना इत्यादिची माहिती खालील प्रममाणे आहे.

| अ.क्र. | संवर्ग | विभाग | वेतनश्रेणी | एकुण पदे |
|---|---|---|---|---|
| १ | गट -ड (वर्ग-४) | सेन्ट जॉर्जेस रुग्णालय,मुंबई | एस-१ : १५०००-४७६०० अधिक महागाई भत्ता व नियमाप्रामणे देय इतर भत्ते | ९९ |
| २ | | नागरी स्वास्थ केंद्र वांद्रे, मुंबई | एस-१ : १५०००-४७६०० अधिक महागाई भत्ता व नियमाप्रामणे देय इतर भत्ते | ०६ |
| ३ | | परिचर्या शिक्षण संस्थ,मुंबई | एस-१ : १५०००-४७६०० अधिक महागाई भत्ता व नियमाप्रामणे देय इतर भत्ते | ११ |
| ४ | | शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय,मुंबई | एस-१ : १५०००-४७६०० अधिक महागाई भत्ता व नियमाप्रामणे देय इतर भत्ते | २९ |
| ५ | | आयुष ,संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई | एस-१ : १५०००-४७६०० अधिक महागाई भत्ता व नियमाप्रामणे देय इतर भत्ते | ०६ |
| ६ | | म.आ पोदार रुग्णालय, मुंबई | एस-१ : १५०००-४७६००<br>एस-३ :१६६००-५२४००<br>एस -६ :१९९००-६३२०० अधिक महागाई भत्ता व नियमाप्रामणे देय इतर भत्ते | ४५ |
| ७ | | रा.आ.पोदार वैद्यक महाविद्यालय,(आयु), मुंबई | एस-१ : १५०००-४७६०० अधिक महागाई भत्ता व नियमाप्रामणे देय इतर भत्ते | १५ |
| | | | एकुण | २११ |

२. प्रस्तुत परीक्षेमधुन भरावयाच्या गट ड (वर्ग-४) संवर्गातील सर्व पदांचा सविस्तर तपशील (परिशिष्ट -१) gmcjjh.edu.in व www.med-edu.in संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

३. परिक्षा दिनांक याबाबतची माहिती gmcjjh.edu.in व www.med-edu.in संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

३.१ प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये विहित केलेल्या अटी व शर्तीची पुर्तता करणाऱ्या उमदेवारांकडून शासनाच्या ऑनलाईन प्रणालीद्वारे अर्ज मागविण्यात येत आहे.

३.२ जाहिरातीची माहिती gmcjjh.edu.in व www.med-edu.in या लिंकवर उपलब्ध आहे.

४. पदसंख्या व आरक्षणां संदर्भात सर्वसाधारण तरतुदी :-

४.१ पदसंख्या व आरक्षणामध्ये शासनाच्या संबंधित विभागांच्या सूचनेनुसार बदल (कमी/जास्त) होण्याची शक्यता आहे.

४.२ पदसंख्या व आरक्षणामध्ये बदल झाल्यास याबबतची सूचना वेळेवेळी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येईल. संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आलेल्या सूचनांच्या आधारे प्रस्तूत परिक्षेमधून भरावयाच्या पदाकरिता भरती प्रक्रिया राबविण्यात येईल.

४.३ प्रस्तुत जाहितरातीमध्ये नमुद संवर्गामध्ये काही मागास प्रवर्ग व समांतर आरक्षणाची पदे उपलब्ध नाहीत, तथापि, जाहिरात प्रसिध्द झाल्यानंतर तसेच परिक्षेचा निकाल अंतिम करेपर्यंत नव्याने प्राप्त होणाऱ्या मागणीपत्रामध्ये जाहिरातीत नमूद नसलेल्या मागास प्रवर्ग तसेच समांतर आरक्षणाकरीता पदे उपलब्ध होण्याची आणि विद्यामान पदसंख्येमध्ये बदल (कमी/जास्त) होण्याची शक्यता आहे. सदर कमी/जास्त पदसंख्या/अतिरिक्त मागणीपत्राद्वारे प्राप्त पदे परीक्षेला निकाल अंतिम करताना विचारात घेतली जाईल. यास्तव परीक्षेच्या जाहिरातीमध्ये पद आरक्षित नसल्यामुळे अथवा पदसंख्या कमी असल्यामुळे परीक्षेसाठी अर्ज सादर केला नसल्याची व त्यामुळे निवडीची संधी वाया गेल्याबाबतची तक्रार नंतर कोणत्याही टप्यावर विचारात घेतली जाणार नाही.

४.४ महिलांसाठी आरक्षित पदांकरिता दावा करणाऱ्या उमेदवारांनी महिला आरक्षणाचा लाभ घ्यावयाचा असल्यास त्यांनी अर्जामध्ये न चुकता महाराष्ट्राचे अधिवासी असल्या बाबत तसेच (अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती वगळून) अन्य मागास प्रवर्गातील उमेदवारांना नॉनक्रीमीलेअर मध्ये मोडत असल्याबाबत स्पष्टपणे दावाकरणे व प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. तसेच महिला व बालविभाग मंत्रालय, मुंबई यांचे शासन निर्णयक्र. महिला २०२२/प्र.क्र.१२३/कार्या-२, दिनांक ०४ मे २०२३ नुसार खुल्या प्रवर्गातील महिलांकरीता आरक्षित असलेल्या पदवरील निवडीकरीता खुल्याप्रवर्गातील महिला तसेच सर्व मागासप्रवर्गातील महिलांनी नॉनक्रिमीलेअर प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट रद्द करण्यात आली आहे.

४.५ विमुक्त जाती (अ) भटक्या जमाती (ब) भटक्या जमाती (क) व भटक्या जमाती (ड) प्रवर्गासाठी आरक्षित असलेली पदे आंतरपरिवर्तनीय असून आरक्षित पदासाठी संबंधित प्रवर्गातील योग्य व पात्र उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास अद्ययावत शासनधोरणा प्रमाणे उपलब्ध प्रवर्गातील उमेदवाराचा विचार गुणवत्तेच्या आधारावर करण्यात येईल.

४.६ अर्ज करतांना एखादी जात/जमात राज्यशासनाकडून आरक्षणासाठी पात्र असल्याचे घोषित केले असल्यास तसेच सक्षमप्राधिकाऱ्याने प्रदान केलेले जात प्रमाणपत्र (Caste Certificate) उमेदवारांकडे अर्ज करताना उपलब्ध असेल तरच संबंधित जात/जमातीचे उमेदवार आरक्षणाच्या दाव्यासाठी पात्र असतील.

४.७ समांतर आरक्षणाबाबत शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशसन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही-१०१२/प्र.क्र.१६/१२/१६-अ, दिनांक १३ ऑगष्ट, २०१४ तसेच शासन शुध्दीपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक संकीर्ण-१११८/प्र.क्र.३८/१६-अ, दिनांक १९ डिसेंबर २०१८ आणि तद्नंतर शासनाने या संदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्यात येईल.

४.८ आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांतील (ईडब्ल्युएस) उमेदवारांकरीता शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक राआधो-४०१९/प्र.क्र.३१/१६-अ, दिनाक १२ फेब्रुवारी २०१९ व दिनांक ३१ मे २०२१ अन्वये विहित करण्यात आलेले प्रमाणपत्र, ऑनलाईन अर्ज सादर करते वेळी सादर करणे आवश्यक राहील.

४.९ शासन परिपत्रक, सामाजिक न्याय व विशेष विभाग, सीबीसी-२०१२/प्र.क्र.१८२/विजाभज-१, दि.२५ मार्च,२०१३ अन्वये विहित कार्यपध्दतीनुसार तसेच शासन शुध्दीपत्रक संबंधित जाहिरीतीमुळे नमूद अर्ज स्वीकरण्याच्या अंतिम दिनांक संबंधित उमेदवार उन्नत आणि प्रगत व्यक्ती गटामध्ये मोडत नसल्याबाबतची पडताळणी करण्यासाठी गृहित धरण्यात येईल.

४.१० शासन परिपत्रक, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग,सीबीसी-२०१३/प्र.क्र.१८२/विजाभज-१, दि.१७ ऑगस्ट, २०१३ अन्वये जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार उन्नत आणि प्रगत व्यक्ती गट यामध्ये मोडत नसल्याचे नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्राच्या वैद्यतेचा कालावधी विचारात घेण्यात येईल.

४.११ सेवा प्रवेशाच्या प्रयोजनासाठी शासनाने मागास म्हणून मान्यता दिलेल्या समाजाच्या वयोमर्यादेमध्ये सवलत घेतलेल्या उमदेवरांचा अराखीव (खुला) पदावरील निवडीकरीता विचार करण्याबाबत शासनाच्या धारेणानुसार कार्यवाही करण्यात येईल याबाबतचा तपशील कालावधी विचारत घेण्यात येईल.

४.१२ अराखीव (खुला) उमेदवारांकरीता विहित केलेल्या वयोमर्यादा तसेच इतर पात्रता विषयक निकषा संदर्भातील अटीची पुर्तता करणाऱ्या सर्व उमेदवारांचा (मागासवर्गीय उमदेवारांसह) अराखीव (खुला) सर्वसाधरण पदवरील शिफरशी करीता विचार होत असल्याने, सर्व आरक्षित प्रवर्गातील उमदेवरांनी त्यांच्या प्रवर्गासाठी पद आरक्षित उपलब्ध नसेल तरी अर्जा मध्ये त्यांच्या मुळ प्रवर्गासंदर्भातील माहिती अचुकपणे नमूद करणे बंधनकारक आहे.

४.१३ कोणत्याही प्रकारच्या आरक्षणाचा लाभ हा केवळ महाराष्ट्राचे अधिवासी असणाऱ्या उमदेवारांना अनुज्ञेय आहे. सर्वसामान्य रहिवाशी या संज्ञेला भारतीय लोकप्रिनिनिधीत्व कायदा १९५० च्या कलम २० अनुसार जो अर्थ आहे तोच असेल.

४.१४ कोणत्याही प्रकारच्या आरक्षणाचा (सामाजिक अथवा समांतर) अथवा सोयी सवलतीचा दावा करणाऱ्या उमेदवरांकडे संबंधित कायदा नियम आदेशानुसार विहित नमुन्यातील प्रस्तुत जाहिरातीस अनुसरुन अर्ज स्वीकरण्यासाठी विहित केलेल्या दिनांका पूर्वीचे वैद्य प्रमाणपत्र उपलब्ध असणे अनिवार्य आहे.

४.१५ सामाजिक व समांतर आरक्षण संदर्भात विविध न्याययालया मध्ये दाखल न्यायप्रविष्ट प्रकरणी अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून पदभरतीची कार्यवाही करण्यात येईल.

**४.१६ खेळाडू आरक्षण:-**

४.१६.१ शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, क्रमांक राक्रिधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रियुसे-२, दिनांक ०१ जुलै २०१६ तसेच शासन शुध्दीपत्रक, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, क्रमांक राक्रिधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रियुसे-२, दिनांक १८ ऑगष्ट २०१६, शासन शुध्दी पत्रक, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, क्रमांक राक्रिधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रियुसे-२, दिनांक ११ मार्च २०१९ व शासन शुध्दीपत्रक, शाले शिक्षण व क्रिडा विभाग, क्रमांक राक्रिधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रियुसे-२, दिनांक २४.१०.२०१९ आणि तदनंतर शासनाने यासंदर्भात वेळो वेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार प्राविण्यप्राप्त खेळाडू आरक्षणा संदर्भात तसेच वयोमर्यादेतील सवलती संदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल.

४.१६.२ प्राविण्यप्राप्त खेळाडू व्यक्तींसाठी असलेल्या आरक्षणाचा दावा करणाऱ्या उमेदवारांच्या बाबतीत क्रिडाविषयक विहित अर्हताधारणकरीत असल्याबाबत सक्षमप्राधिकाऱ्याने प्रमाणित केलेले पात्र खेळाचे प्राविण्य प्रमाणपत्र पूर्वपरीक्षेस अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकाचे किंवा तत्पूर्वीचे असणे बंधनकारक आहे.

४.१६.३ खेळाचे प्राविण्य प्रमाणपत्र योग्य दर्जाचे असल्याबाबत तसेच तो खेळाडू उमेदवार आरक्षित पदावरील निवडीकरीता पात्र ठरतो, **या विषयी पडताळणीकरीता त्यांचे प्राविण्य प्रमाणपत्र संबंधित विभागीय उपसंचालक कार्यालयाकडे पूर्व परीक्षेस अर्ज सादर करण्याच्या दिनांकापूर्वी सादर केलेले असणे बंधनकारक आहे.** अन्यथा प्राविण्य प्राप्त खेळाडू आरक्षणाकरीता पात्र समजण्यात येणार नाही.

६.१६.४ एका पेक्षा जास्त खेळांची प्राविण्य प्रमाणपत्रे असणाऱ्या खेळाडू उमेदवाराने एकाच वेळेस सर्व खेळांची प्राविण्य प्रमाणपत्रे पडताळणी करण्याकरीता संबंधीत उपसंचालक कार्यालयाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे.

४.१६.५ परीक्षकरीता अर्ज सादर करतांना खेळाडू उमेदवरांनी विहित अर्हता धारणकरीत असल्याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्याने प्रमाणित केलेले प्राविण्य प्रमाणपत्र तसेच त्यांचे प्राविण्य प्रामणपत्र योग्य असल्याबाबत तसेच खेळाडॅ कोणत्या संवर्गातील खेळाडूसाठी आरक्षित पदवरील निवडी करीता पात्र ठरतो, या विषयीचा सक्षम प्राधिकाऱ्यांने प्रदान केले प्राविण्य प्रमाणपत्र पडताळणी बाबतचा अहवाल सादर केला तरच उमेदवारांचा संबंधित संवर्गातील खेळडूसाठी आरक्षित पदावर शिफारस नियुक्ती करीता विचार करण्यात येईल.

**४.१७ दिव्यांग आरक्षण:-**

४.१७.१ दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ च्या आधारे शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक दिव्यांग २०१८/ प्र.क्र.११४/१६-अ, दिनांक २९ मे २०१९ तसेच या संदर्भात शासनाकडून वेळो वेळी जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार दिव्यांग व्यक्तीच्या आरक्षणा संदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल.

४.१७.२ वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग मंत्रालय, मुंबई शासन निर्णय क्रमांकसंकीर्ण १०२१/प्र.क्र.५७/२१/वैसेवा-१, दिनांक १७ जून, २०२१ नुसार दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ नुसार गट ड (वर्ग-४) या समकक्ष पदे दिव्यांग शासन सेवेसाठी सुनिश्चित केली आहे. सदर पदाचा तपशिल (परिशिष्ट -१) gmcjjh.edu.in व www.med-edu.in संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आलेला आहे.

४.१७.३ दिव्यांग व्यक्तीसाठी आरक्षीत असलेली पदे त्या संवर्गामधील भरावयाच्या एकुण पदसंख्ये पैकी असतील.

४.१७.४ दिव्यांग व्यक्तीची संबंधित संवर्ग पदाकरीता पात्रता शासना कडून वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशा नुसार राहिल.

४.१७.५ दिव्यांग व्यक्तीसाठी आरक्षित पदावर शिफारस करतांना उमेदवार कोणत्या सामाजिक प्रवर्गातील आहे. यांचा विचार न करता दिव्यांग गुणवत्ता क्रमांका नुसार त्यांची शिफारस करण्यात येईल.

४.१७.५ दिव्यांग व्यक्तीसाठी आरक्षित पदावर शिफारस करतांना उमेदवार कोणत्या सामाजिक प्रवर्गातील आहे. याचा विचार न करता दिव्यांग गुणवत्ता क्रमांकानुसार त्यांची शिफारस करण्यात येईल.

४.१७.६ सबंधित दिव्यागत्वाच्या प्रकारचे किमान ४० टक्के दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र धारक उमेदवार/व्यक्ती आरक्षण तसेच नियमानुसार अनुज्ञेय सोयी सवलतीसाठी पात्र असतील.

४.१७.७ लक्षणीय दिव्यांगत्व असलेले उमेदवार व्यक्ती खालील सवलतीच्या दाव्यास पात्र असतील.

अ. दिव्यांगत्वाचे प्रमाण किमान ४० टक्के अथवा त्यापेक्षा जास्त असल्यास तसेच पद लक्षणीय दिव्यांग व्यक्तीसाठी आरक्षित असल्यास नियमा नुसार अनुज्ञेय आरक्षण व इतर सोयी सवलती.

ब. दिव्यांगत्वाचे प्रमाण किमाण ४० टक्के अथवा त्यापेक्षा जास्त असल्यास तसेच पद संबंधित दिव्यांग प्रकरासाठी सुनिश्चित केले असल्यास नियमा नुसार अनुज्ञेय सोयी सवलती.

४.१७.८ लक्षणीय दिव्यांगव्यक्ती साठी असलेल्या वयोमर्यादेचा अथवा इतर कोणत्याहीप्रकारचा फायदा घेऊ इच्छिणाऱ्या उमेदवारांनी शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांक अप्रकि-२०१८/प्र.क्र.४६/आरोग्य-६, दिनांक १४ सप्टेंबर २०१८ मधील आदेशानुसार केंद्र शासनाच्याwww.swavlambancard.gov.inअथवा SADM या संगणकीय वितरित करण्यात आलेले नवीन नमुन्यातील दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे.

४.१८ अनाथ आरक्षण:

४.१८.१ **अनाथ व्यक्तीचे आरक्षण शासन निर्णय, महिला व बालविकास विभाग, क्रमांक अनाथ-२०२२/प्र.क्र.१२२/का-०३, दिनांक** ०६ **एप्रिल**, २०२३ सामान्य प्रशासन विभाग शासन परिपत्रक क्र.राआघो ४०२४/प्र.१४/१६ अ मंत्रालय मुंबई २० जोनवारी, २०२४ तसेच या **या संदर्भात शासनाकडून वेळो वेळी जारी करण्यात येणाऱ्या आदेशा नुसार राहील.**

४.१८.२ महाराष्ट्र शासन, **महिला व बालविकास विभाग, क्रमांक अनाथ-२०२२/प्र.क्र.१२२/का-०३, दिनांक** ०६ **एप्रिल**, २०२३ सामान्य प्रशासन विभाग शासन परिपत्रक क्र.राआघो ४०२४/प्र.१४/१६ अ मंत्रालय मुंबई २० जोनवारी, २०२४ अन्वये अनाथ प्रवर्गासाठी दावा दाखल करणाऱ्या उमदेवराने अर्ज सादर करते वेळी **महिला व बाल विकास विभागाकडील सक्षम प्राधिकारी यांचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील** अन्य यंत्रणेकडून वितरीत करण्यात आलेले प्रामणपत्र ग्राहय धरण्यात येणार नाही

४.१८.३ अनाथ आरक्षणाचा लाभ घेऊन **शासन** सेवेत रुजू होणाऱ्या उमेदवराला अनाथ प्रमाणपत्र पडताळणीच्या अधिन राहून तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्ती देण्यात येईल. नियुक्ती पश्चात ६ महिन्याच्या कालावधीत आयुक्त बालविकास पुणे यांच्याकडून अनाथ प्रमाणपत्राची पडताळणी करुन घेण्यची जबाबदारी संबंधित नियुक्ती प्राधिकारी विभाग प्रमुख यांची राहिल.

४.१८.४ **अनाथांसाठी आरक्षितपदावर गुणवत्तेनुसार निवड झालेल्या उमेदवारांचा समावेश उमेदवार ज्या सामाजिक प्रवर्गाचा आहे त्या प्रवर्गातून करण्यात येईल.**

४.१९ **माजी सैनिक आरक्षण**

४.१९.१ गुणवत्ता यादी मध्ये येणाऱ्या माजी सैनिक उमेदवरांनी जिल्हा सैनिक बोर्डात नाव नोंदणी केली असल्यास मुळ प्रमाणपत्र व इतर आवश्यक कगदपत्रे तपासणीच्या वेळी सादर करणे आवश्यक आहे. निवड झालेल्या माजी सैनिक उमेदवरांच्या कागदपत्रांची सक्षम अधिकाऱ्याकडून पडताळणी झाल्या शिवाय त्यांना नियुक्ती आदेश देण्यात येणार नाहीत. महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र.आटीए-१०८२/३५०२/सीआर-१००/१६-३, दिनांक २ सप्टेंबर,१९८३ नुसार

अ. माजी सैनिकांसाठी असलेल्या पदांवर भरती करताना युध्द काळात किंवा नसताना सैन्यातील सेवेमुळे दिव्यांगत्व आले असल्यास असा माजी सैनिकास १५ टक्के राखीव पदां पैकी उपलब्ध पदांवर प्राध्यान्य क्रमाने नियुक्ती देण्यास पात्र राहिल.

ब. युध्द काळात किंवा युध्द नसताना सैनिकी सेवेत मृत झालेल्या किंवा अपगंत्व येऊन त्यामुळे नोकरीसाठी अयोग्य झालेल्या माजी सैनिकाच्या कुटुंबातील फक्त एका व्यक्तीला त्या नंतरच्या पंसती क्रमाने १५ टक्के आरक्षित पदापैकी उपलब्ध पदावर नियुक्तीस पात्र राहिल तथापी, सदर उमेदवाराने गट ड (वर्ग-४) समकक्ष पदासाठी आवश्यक शैक्षणिक अर्हता धारण केलेली असणे आवश्यक आहे.

४.२० **प्रकल्प ग्रस्तांसाठीच आरक्षझ :-**

शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एईएम-१०८०/३५/१६-अ दिनांक २० जोनवारी,१९८० तसेच या संदर्भात शासनकाडून वेळोवेळी नमुद करण्यात येणाऱ्या आदेशा नुसार प्रकल्प ग्रस्तासाठीचे आरक्षण राहील गुणवत्ता यादी मध्ये येणाऱ्या प्रकल्प ग्रस्त उमेदवारांनी सक्षम अधिकारी यांचे कडील प्रकल्प ग्रस्त असले बाबतचे शासकीय नोकरी मिळणेसाठी विहित केलेले मुळ प्रामणपत्र कागदपत्रे तपासणीच्या वेळी सादर करणे बंधनकारक राहिल. ऑनलाईन/लेखी परीक्षेत निवड झालेल्या प्रकल्प ग्रस्त उमेदवराचे मुळ प्रमाणपत्र हे संबंधित प्रमाणपत्र निर्गमित करणाऱ्या अधिकारी यांचे कार्यालयाकडून पडताळणी करुन घेतले जाईल.सदर पडताळणी अंती प्राप्त होणाऱ्या अहवालाच्या आधारे सदर प्रवर्गातील उमदेवारांना नियुक्ती आदेश देणे बाबतची कार्यवाही करण्यात येईल.

४.२१ **भुकंप ग्रस्तांसाठीचे आरक्षण :-**

गुणवत्ता यादीमध्ये येणाऱ्या भुकंप ग्रस्त उमेदवरांनी सक्षम अधिकारी यांचेकडील भुकंप ग्रस्त असलले बाबतचे शासकीय नोकरी मिळणेसाठी विहित केलेले मुळ प्रमाणपत्र कागदपत्रे तपासणीच्या वेळी सादर करणे बंधनकारक राहिल. लेखी परीक्षेत निवड झालेल्या भुकंप गस्त उमेदवाराचे मुळ प्रमाणपत्र हे संबंधित प्रामणपत्र निर्गमित करणाऱ्या अधिकारी यांचे कार्यालयाकडून पडताळणी करुन घेतले जाईल सदर पडताळणी अंती प्राप्त होणाऱ्या अहवालाच्या आधारे सदर प्रवर्गातील उमदेवरांना नियुक्ती आदेश देणे बाबतची कार्यावाही कण्यात येईल.

५ **पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी यांच्या करीता आरक्षण :-**

शासन निर्णय ,सामान्य प्रशासन विभाग क्र.पअंक-१००९/प्र.क्र.२००/२००९/१६- दिन२७.१०.२००९ व क्र.अशंका-१९१३/प्र.क्र.५७/२०१३/१६-३३ए दिनांक १९/०१/२०१३ नुसार शासकीय कार्यालयामध्ये ३ वर्षा पर्यंत दरमहा मानधनावरकाम केलेल्या उमदेवराने सदरच्या अनुभवाची रोजगार मार्गदर्शन केंद्रा मध्ये नोंद केलेली असणे आवश्यक राहिल निवड झालेल्या अंशकालीन कर्मचाऱ्यांची त्यांच्या अनुभवाचे सेवायोजन कार्यालयाकडील मुळ प्रामणपत्र व तससिलदार यांचे कडील प्रमाणपत्र कागदपत्रांच्या पडताळणीच्या वेळी सादर करणे आवश्यक राहिल.

५.१ गट ड (वर्ग-४) समकक्ष पदासाठी अर्ज केलेला उमदेवार हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवाशी असावा व त्यांचेकडे महाराष्ट्र राज्याचे रहिवाशी प्रामणपत्र आवश्यक आहे.

५.२ गट ड (वर्ग-४) समकक्ष पदासाठी अर्ज केलेला उमदेवारांसाठी शासन निर्णय क्र.रिपभ/प्र.क्र.६६/२०११/ई-१० दिनांक १७ जुन,२०११ नुसार ज्या परिक्षार्थीकडे रहिवाशी प्रामणपत्र (Domicile Certificate) उपलब्ध नसल्यास त्यांनी त्यांचा जन्म महाराष्ट्रा राज्यात झाला असल्यास जन्म दाखला (Birth Certificat) सादर करणे आवश्यक आहे अशा प्रकरणात रहिवाशी प्रमाणपत्राची अट लागू राहणार नाही सदर परिक्षार्थीकडे रहिवाशी प्रामणप तसेच जन्म तारखेचा दाखला उपलब्ध नसल्यास, त्या परिक्षार्थीने आपला शाळा सोडल्याचा दाखला सादर करणे आवश्यक राहिल. परंतु सदर शाळा सोडल्याच्या दाखल्यामध्ये त्या परिक्षार्थीचा जन्म हा महराष्ट्र राज्यात झाल्यची नोंद असणे अवश्यक आहे. अशा प्रकरणात रहिवाशी प्रमाणपत्राची अट लगू राहणार नाही. ज्या उमेदवराचा जन्म महराष्ट्र राज्यात झाला नसेल परंतु महराष्ट्र राज्यातील रहिवाशी सलग १५ वर्ष व त्यापेक्षा अधिक कालावधीचा आहे अशा परीक्षार्थी उमेदवरांसाठी रहिवाशी प्रामणप (Domicile Certificate) आवश्यक रहिल.

५.३ उमेदवारांने अर्ज केला अथवा विहित अर्हता धारण केली म्हणजे परीक्षेला बोलविण्यास अथवा नियुक्तीचा हक्क प्राप्त झाला असे नाही.

५.४ आरक्षित मागास प्रवर्गाचा दावा करणाऱ्या उमदेवरांना ज्या संदर्भातीलइ सक्षम अधिकाऱ्याने दिलेले जात प्रामणपत्र (Cast Certificate) व उपलब्ध असल्यास जात वैधता प्रमाणपत्र (Validity Certificate) निवडी अंती सादर करणे आवश्यक आहे.

५.५ जात वैधता प्रामणपत्र उपलब्ध नसल्यास, शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.बीसीसी-२०११/प्र..क्र.१०६४/२०११ /१६, दिनांक १२/१२/२०११ मधील तरतुदी नुसार, याचिका क्र.२१३६/२०११ व अन्य याचिकांवर मा.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खडपीठाने दिनांक २५/०८/२०११ रोजी दिलेल्या अदेशाच्या विरोधात मा.सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे दाखल केलेल्या एसएलपी मधील आदेशाच्या अधीन राहून तात्पुरते नियुक्ती आदेश निर्गमित केल्याच्या दिनांका पासून ०६ महिन्याचे आत जात वैधता प्रामणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे.अन्यथा त्यांची नियुक्ती पुर्वलक्षी प्रभावाने रदद करण्यात येईल.

५.६ उमदेवरांना परीक्षेसाठी स्वखर्चाने उपस्थित रहावे लागेल. परिक्षेसाठी नेमून दिलेल्या परिक्षा केंद्रावर वेळे पुर्वी ०१ तास अगोदर उपस्थित रहावे.

५.७ नियुक्ती होणाऱ्या उमेदवारास शासन निर्णय दि. २ १/१०/२००५ नुसार लागु करण्यात आलेली नवीन परिभाषिक अंशदायी निवृत्ती वेतन योजना (New Defined Contributory pension scheme) लागू राहिल त्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण) नियम १९८४ आणि सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू राहणार नाही. तथापी सदर नियमात भविष्यात काही बदल झाल्यास त्या प्रामणे योजन लागू राहिल.

५.८ उमेदवरांना ज्या गट ड (वर्ग-४) समकक्ष करीता विकल्प देतील अशा पात्र उमेदवरांना गट ड (वर्ग-४) समकक्ष पदावर नियुक्तीसाठी निवड सुचीतील उमेदवार आवश्यक ती पात्रता पुर्ण करतील त्यांना कागदपत्रो पडताळणी अंती वैद्यकीय व चारित्र पडताळणी पुर्ण करुन नियुक्तीसपात्र देण्यात येतील बाबतचे सर्व अधिकार हे संबंधित हे संबंधित संस्थेच्या अधिष्ठाता यांना असतील.

५.९ अंतिम निवड यादीतील पात्र उमेदवारांनी सादर केलेल्या विविध प्रमाणपत्राच्या साक्षांकित प्रती मुळ प्रामणपत्राचे आधारे कागदपत्रे तपासणी वेळी तपसण्यात येतील सदर प्रमाणपत्राच्या साक्षांकित प्रती मुळ प्रामाणपत्राच्या आधारे कागपत्र तपासण्याच्या वेळी उपलब्ध करुन देणे उमेदवरांना बंधनकारक राहिल. त्या मधील प्रमाणपत्रे खोटी किंवा चुकीची आढळल्यास संबंधित उमेदवारास अपात्र ठरविण्यात येईल.

**६ . शैक्षणिक अर्हता :-**

६.१ जाहिराती मध्ये नमूद पदांसाठी अर्ज करणे कामी जाहिरात प्रसिध्दी दि. /०५/२०२५ रोजी उमेदवराने पुढील प्रमाणे शैक्षणिकअर्हता पुर्णत: धारण करणे आवश्यक आहे.

* महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग यांचे कडील दि.०६ जून, २०१७ च्या अधिसूचने नुसार उमेदवार कोणत्याही शासन मान्यता प्राप्त माध्यमिक शालांत परिक्षा (१० वी ) उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
* मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक आहे.

६.२ माजी सैनिकांच्या शैक्षणिक अर्हता

तांत्रिक अथवा व्यावसायिक कामाचा अनुभव आवश्यक ठरविलेल्या नसलेल्या पदांच्या बाबतीत १५ वर्षे सेवा झालेल्या माजी सैनिकांनी एस.एस.सी. उत्तीर्ण असल्याचे किंवा इंडियन आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट एज्युकेशन अथवा तत्सम प्रामणपत्र असल्यास ते अशा पदांना अर्ज करु शकतात.

७. पात्रता :-

७.१ भारतीय नागरीकत्व (Domicile Certificate)

७.२ वयोमर्यादा

७.२.१ वयोमर्यादा गणण्याचा दिनांक /०७/२०२५

७.२.२ विविध अराजपत्रित प्रवर्ग उपप्रवर्गातील किमान व कमाल वयोमर्यादा

| अ.क्र. | प्रवर्ग | आवश्यक वयोमर्यादा |
|---|---|---|
| १ | खुल्या प्रवर्गातील उमदेवरांसाठी | महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग कडील शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.४०४/कार्या.१२ दि.२५ एप्रिल, २०१६ मधील तरतुदी नुसार किमान १८ पेक्षा कमी व ३८ पेक्षा जास्त नसावे. |
| २ | मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी | महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग कडील शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.४०४/कार्या.१२ दि.२५ एप्रिल, २०१६ मधील तरतुदी नुसार किमान १८ पेक्षा कमी व ४३ पेक्षा जास्त नसावे.तथापी उन्नत व प्रगत गटां मध्ये क्रिमीलेअर (Creamy Layer) मोडणाऱ्या विजा-अ भ.ज-ब,भ.ज-क,भ.ज-ड, विमा.प्र,इ.मा.व, एस.ई.बी.सी.आणि ई.डब्लुय एस (आर्थिक दृष्टया दुर्बल घटक) प्रवर्गातील उमदेवरांना ही वयाची सवलत लागू राहणार नाही. |
| ३ | पदविधारक अंशकालीन उमदेवरांसाठी | शासन सामान्य प्रशासन विभागाकडील शासन निर्णय क्र.अशंका-१९९८/प्र.क्र.५०७/१६-अ दिनांक ०२ जानेवारी २०१९ मधील तरतुदी नुसार कमाल वयोमर्यादा ५५ वर्ष राहिल. |
| ४ | स्वतंत्र सैनिकांचे नामनिर्देशन पाल्य, सन १९९१ चे जनगणना कर्मचारी व सन १९९४ नंतर निववडणूक कर्मचारी यांचेसाठी | महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभागकडील शासन निर्णय क्र निवक १०१०/प्र.क्र.०८/२०१०/१६-अ दि.०६/१०/२०१० मध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार कमाल वयोमर्यादा ४५ वर्ष इतकी राहिल या घटकातील मागसवर्गीय उमदेवरांसाठी देखील उच्चतम वयोमर्यादा ४५ वर्ष इतकी राहिल. |
| ५ | खेळाडू उमेदवारांसाठी | महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग कडील शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.४०४/कार्या.१२ दि.२५ एप्रिल, २०१६ मधील तरतुदी नुसार खेळाडूची गुणवत्ता व पात्रता विचारात घेण्यास सदर पदसाठी असलेल्या विहित वयोमर्यादा ०५ वर्षा पर्यंत वयाची अट शिथील करण्यात येईल. तथापी, उच्चतम वयोमर्यादा ४३ इतकी राहिल. |
| ६ | दिव्यांग उमेदवारांसाठी | महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग कडील शासन निर्णय क्र.एसआरव्हीजी-१०९८/प्र.क्र.३९/९८/१६-अ दि.१६/०६/२००१ मधील तरतुदी नुसार उच्चतम वयोमर्यादा सरसकट४५ वर्ष इतकी राहील, तथापि, दिव्यांग प्रर्वगातील उमेदवारांचे किमान दिव्यंगत्वाचे प्रमाणपत्र ४० टक्के असल्या बाबतचे स्थायी वैद्यकीय मंडळाचे प्रामणपत्र असणे आवश्यक आहे. तसेच त्यांची निवड झाल्यानंतर नियुक्ती आदेश निर्गमित करण्यापुर्वी शासनाने नियुक्त केलेल्या तज्ञ वैद्यकीय मंडळाने तो उमेदवार संबंधित पदावर काम करु शकेल असे प्रमाणपत्र दिल्यानंतर त्याची अंतिम नियुक्ती केली जाईल सदर प्रमाणपत्रावर उमेदवराचा फोटो असणे आवश्यक आहे. |

| | | |
|---|---|---|
| | | क्र.प्रकल्प - १००६/मु.स.३९६/प्र.क्र.५६/१६-अ, दिनांक ०३/०२/२००७ मधील तरतुदी नुसार, कमाल वयोमर्यादा ४५ वर्ष इतकी राहिल. सदर वयोमर्यादा सरसकट शिथिल केली असल्याने, मागसवर्गीय प्रकल्पग्रस्त व भुकंपग्रस्त उमेदवारांनाही कमाल वयोमर्यादा बाबत ४५ वर्षे सवलत राहिल. |
| ८ | माजी सैनिक उमदेवारांसाठी | महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभागकडील शासन निर्णय क्र निवक १०१०/प्र.क्र.२७९/१०/१६-३ दि.२०/०८/२०१० मधील तरतुदी नुसार माजी सैनिकासाठी विहित वयोमर्यादितील सुट ही सदर उमेदवाराच्या सशस्त्र दलात झालेल्या सेवे इतका कालावधी अधिक ३ वर्षे इतकी राहिल, तसेच दिव्यांग माजी सैनिकांसाठी कमाल वयोमर्यादा ४५ वर्षा पर्यंत राहिल. |

परीक्षेचे स्वरुप व त्या अनुषंगिक सुचना

| अ.क्र. | पदाचे नांव | मराठी | | इंग्रजी | | सामान्य ज्ञान | | बौध्दिक चाचणी/ अंकगणित | | एकुण गुण | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | प्रश्न | गुण | प्रश्न | गुण | प्रश्न | गुण | प्रश्न | गुण | प्रश्न | गुण |
| १ | गट ड (वर्ग-४) समकक्ष पदे | २५ | ५० | २५ | ५० | २५ | ५० | २५ | ५० | १०० | २०० |

* परीक्षा कालावधी २ तास (१२० मिनिटे)

* परीक्षेचे स्वरुप

१) परीक्षा ही ऑनलाईन(COMPUTER BASED TEST) पध्दतीने घेण्यात येईल परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायीस्वरुपाच्या असतील, प्रश्न पत्रिकेतील प्रत्येक प्रश्नास अधिकाधिक ०२ गुण ठेवण्यात येतील.तसेच चुकीच्या उत्तराकरीता प्रत्येकी ०१ गुण वजाती करण्यात येईल.

२) महाष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभागाकडील शासन निर्णय क्र.प्रनिम १२२२ प्र.क्र.१४ का १३-अ दि.०४ मे २०२२ मधील तरतुदी नुसार गट ड (वर्ग-४) समकक्ष पदासाठी माध्यमिक शालांत परीक्षा (एस.एस.सी) हि कमीत कमी अर्हता असल्याने सदर पदासाठी परिक्षेचा दर्जा राज्यातील मान्यप्राप्त माध्यामिक शालांत परीक्षा (एस.एस.सी) , परीक्षेच्या दर्जाच्या समान राहिल. मराठी व इंग्रजी या विषयाच्या प्रश्न पत्रिकेचा दर्जा माध्यमिक शालांत परिक्षेच्या (एस.एस.सी) परीक्षेच्या दर्जाच्या समान राहिल व लेखी परिक्षेला मराठी, इंग्रजी, सामान्य ज्ञान व बौध्दीक चाचणी या विषयावर प्रश्नाकरीता प्रत्येकी ५० गुण ठेवून एकुण २०० गुणांची ऑनलाईन (COMPUTER BASED TEST) परिक्षा घेण्यात येईल.

३) सामान्य प्रशासन शासन निर्णय क्र. प्रनिम १२२२ प्र.क्र.१४ का १३-अ दि.०४ मे २०२२ मधील तरतुदी नुसार या पदाकरीता मौखिक परीक्षा (मुलाखती) घेण्यात येणार नाहीत.

४) उमेदवारांची निवडसूची तयार करणेसाठी शासन परिपत्रक,सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एसआरव्ही-१०१७/प्र.क्र.३१/९८/१६-अ दि.१६/०३/१९९९ आणि शासन शुध्दीपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग क्र.संकीर्ण १९९९/प्र.क्र.३९/१६ अ दिनांक १९/१२/२०१८ तसेच शासन निर्णय क्र.प्रनिमं १२२२/प्र.क्र.५४/का १३ दिनांक ०४ मे, २०२२ अन्वये कार्यवाही करण्यात येईल.

५) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.प्रालिमं १२२२/प्र.क्र.५४/का.१३-अ दिनांक ०४ मे, २०२२ मधील तरतुदी नुसार गुणवत्ता यादीमध्ये अंतर्भाव करण्यासाठी उमेदवारांनी एकुण गुणांच्या किमान ४५ टक्के गुण प्राप्त करणे आवश्यक राहिल.

६) परीक्षेचा निकाल (निवडसूची) तयार करतांना परीक्षेत ज्या उमदेवारांना समान गुण असतील अशा उमेदवरांचा प्राध्यन्यक्रम हा महाराष्ट्र शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग निर्णय क्र.प्रानिमं १२२२/ प्र.क्र.५४/का, १३-अ दिनांक ०४ मे, २०२२ मध्ये नमुद निकषाच्या आधारे क्रमवार लावला जाईल.

परीक्षा ही COMPUTER BASED TEST ऑनलाईन पध्दतीने घेण्यात येणार असून प्रत्येक सत्राच्या प्रश्नपत्रिका स्वतंत्रपणे उपलब्ध केल्या जणार असून एकापेक्षा जास्त सत्रात परीक्षा आयोजित करण्यात येणार आहे. सत्र १ ते अंतिम सत्र यामधील प्रश्नपत्रिकेचे स्वरुप व त्यांची कठीणता तपासण्यात येऊन त्याचे समानीकरण करणेचे (Normalization) पध्दतीने गुणांक निश्चित करुन निकाल जाहिर करण्यात येईल. (Normalization) TCS कंपनीकडून देण्यात आलेले सुत्र वेबसाईटवर माहितीसाठी प्रकाशित केलेला आहे. सदर (Normalization) सर्व परीक्षार्थी यांना बंधनकारक राहिल व याची सर्व परिक्षार्थी यांनी नोंद घ्यावी.

८. विहित कागदपत्रे/प्रामणपत्रे सलंग्न (Upload) करणे.

१) प्रोफाईलद्वारे केलेल्या विविध दाव्यांच्या अनुषंगाने परिक्षेकरीता अर्ज सादर करतांना खेळाडू,दिव्यांग, माजी सैनिक, अनाथ तसेच प्रकल्प ग्रस्त, भुकंपग्रस्त व पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी आरक्षणाचा दावा करणाऱ्या उमेदवरांनी आवश्यक कागदपत्रे PDF फाईल फॉरमेट मध्ये संलग्न (Upload) करावीत.

२) विविध सामाजिक व समांतर आरक्षणाचा दावा करणाऱ्या उमेदवारांची पात्रता आजमवल्या नंतर (Check Eligibilty) उमदेवार जाहिराती नुसार पात्र ठरत असल्यास अर्ज सादर करतांना खालील कागदपत्रे प्रामणपत्रे (लागू असलेली) संलग्न (Upload) करणे अनिवार्य आहे.

| अ.क्र. | प्रमाणपत्र/कागपत्र | अ.क्र. | प्रमाणपत्र/कागपत्र |
|---|---|---|---|
| १ | अर्जातील नावाचा पुरावा (एस.एस.सी अथावा तत्सम शैक्षणिक अर्हता) | ९ | खेळाडू आरक्षणासाठी पात्र असल्याचा पुरावा |
| २ | वयाचा पुरावा | १० | प्रकल्प ग्रस्त आरक्षणासाठी पात्र असल्याचा पुरावा |
| ३ | शैक्षणिक अर्हता इत्यादीचा पुरावा | ११ | भुकंपग्रस्त आरक्षणासाठी पात्र असल्याचा पुरावा |
| ४ | सामाजिक दृष्टया मागासर्वीय असल्या बाबतचा पुरावा | १२ | अशकालीन पदवीधर कर्मचारी आरक्षणासाठी पात्र असल्याचा पुरावा |
| ५ | आर्थिक दृष्टया दुर्बल घटक असल्या बाबतचा पुरावा | १३ | एस.एस.सी.नावात बदल झाल्याचा पुरावा |
| ६ | अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकास वैध असणारे नॉन क्रिमीलेअर प्रामणपत्र | १५ | अराखीव महिला, मागासवर्गीय, आ.दु.घ, खेळाडू, दिव्यांग, माजी सैनिक, अनाथ, प्रकल्पग्रस्त, भुकंपग्रस्त, अंशकालीन पदवीधर कर्मचारी आरक्षणाचा दावा असल्यास रहीवाशी प्रमाणपत्र |
| ७ | पात्र दिव्यांग व्यक्ती असल्यास पुरावा | १५ | भारतीय नागरीत्व (Domicile Certificate) |
| ८ | पात्र माजी सैनिक असल्याचा पुरावा | १६ | मराठी भाषेचे ज्ञान असल्याचा पुरावा |

३) उपरोक्त प्रमाणपत्र/ कागदपत्रे ---------------------------------------- संकेतस्थळावरील उपलब्ध लिंकवर उमेदवरांना सर्वसाधारण सुचना मध्ये प्रस्तुत जाहिराती मध्ये नमुद केल्या प्रामणे असणे अनिवार्य आहे.

४) खेळडु,दिव्यांग, माजी सैनिक, अनाथ तसेच प्रकल्प ग्रस्त, भुकंप ग्रस्त व पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी आरक्षणाच्या दाव्याच्या अनुषंगाने मूळ प्रामणपत्रे/कागदपत्रे पडताळी / नियुक्तीच्या वेळेस सादर केल्याशिवाय नियुक्ती दिली जाणार नाही.

**सर्वसाधारण सुचना :-**

१) अर्ज फक्त ऑनलाईन अर्ज प्रणालीद्वारे स्वीकारण्यात येतील.

२) अर्ज सादर करण्याकरीता संकेतस्थळ gmcjjh.edu.in व www.med-edu.in

३) अर्ज सादर करण्याच्या सविस्तर सुचना gmcjjh.edu.in व www.med-edu.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध आहे.

४) अर्ज सादर केल्यानंतर विहित मुदतीत परीक्षा शुल्क भरल्या शिवाय अर्ज विचारात घेतला जाणार नाही.

५) अर्ज भरण्याची व परीक्षा शुल्क भरण्याची अंतिम तारीख संगणका मार्फत निश्चित केली असल्याने पेमेंट गेटवे दिलेल्या तारखेला व वेळेला बंद होणार आहे. त्यामुळे परिक्षार्थी, उमेदवारांनी मुदतीत व अर्ज व परीक्षा शुल्क भरणे बंधनकारक राहिल.

**९.१ केंद्र निवड :-**

९.१.१ प्रस्तुत परिक्षकरीता परीक्षा केंद्राचा तपशील gmcjjh.edu.in व www.med-edu.in संकेत स्थळावरील सदर परिक्षेच्या परीक्षा योजना पध्दती या सदरा मध्ये उपलब्ध आहे.

९.२.२ परीक्षा केंद्र बदला बाबतची विनंती कोणत्याही परिस्थितीत अथवा कोणत्याही कारणास्तव मान्य करण्यात येणार नाही.

**९.२ परीक्षा शुल्काचा भरणा :-**

९.२.१ परीक्षा शुल्क (फ)

| अ.क्र. | पदाचे नांव | आवश्यक परीक्षा शुल्क | |
|---|---|---|---|
| | | खुला प्रवर्ग | राखीव प्रवर्ग (मागास प्रवर्ग व आर्थिकदृटया दुर्बल घटक) |
| १ | गट ड (वर्ग-४) समकक्ष | १००० (अक्षरी रु.एक हजार मात्र) | ९००/- (अक्षरी रु.नऊशे मात्र) |

माजी सैनिकांना परीक्षा शुल्क आकारले जाणार नाही.

९.२.२ परीक्षा शुल्क ना परतावा (Non-refundable) आहे.

९.३.३ अर्ज सादरीकरणाचे टप्पे पुर्ण झाल्यावर उपलब्ध होणाऱ्या submit बटनावर क्लिक केल्यानंतर pay fees या बटनावर क्लिक केल्यानंतर किंवा मुखपृष्ठावरील माझे खाते या सदराखालील अर्ज केलेल्या पदाच्या यादीतील fee not paid अशी सद्य:स्थिती लिहिलेल्या जाहितरात/पद/परीक्षे समोरील pay now या लिंकवर क्लिक करुन परीक्षा शुल्काचा भरणा करता येईल.

९.२.४ परीक्षा शुल्काचा भरणा खालील पध्दतीने करता येईल.

**ऑनलाईन पध्दतीने :-**

१) परीक्षा शुल्काचा भरणा प्रणालीद्वारे उपलब्ध करुन दिलेल्या पेमेंट गेटवेच्या माध्यामातून क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड,अथवा नेटबँकिंगद्वारे परीक्षा शुल्क अदा करता येईल.

२) परीक्षा शुल्काचा भरणा करताना बँक खात्यातून परीक्षा शुल्काची रक्कमेची वजावट झाल्यानंतर परीक्षा भरणा यशस्वीपणे झाला (payment successful) असल्यास संदेश ऑनलाईन अर्ज प्रणालीच्या पृष्ठावर प्रदर्शित झाल्या शिवाय व परीक्षा शुल्काची पावती तयार झाल्या शिवाय संकेतस्थळा वरील संबंधीत पृष्ठावरुन आणि/अथवा खात्यातुन लॉग आऊट होऊ नये.

३) परीक्षा शुल्काचा भरणा केल्यानंतर उमदेवाराला त्यांच्या प्रोफाईलमध्ये परीक्षा शुल्काचा भरणा यशस्वी झाला आहे. किंवा तसे स्थिती (status) लगेचच अवगत होईल. खात्यातुन logout होण्यापूर्वी परीक्षा शुल्क यशस्वीपणे भरले असल्याबाबत व बँकेकडून व्यवहार (Transaction) पुर्ण झाला असल्या बाबतचा खात्री करण्याची जबाबदारी उमेदवाराची आहे.

४) परीक्षा शुल्काचा भरणा यशस्वी न झाल्यास पुन्हा शुल्क भरण्याची कार्यावाही प्रस्तुत जाहिरातीच्या अनुषंगाने विहित दिनांक/विहित वेळे पुर्वीच करणे आवश्यक आहे. कोणत्याही कारणास्तव व्यवहार अयशस्वी ठरल्यास या संदर्भातील तक्रारीची दाखल घेतली जाणार नाही विहित मुदतीत परीक्षा शुल्काचा भरणा करु न शकणाऱ्या उमदेवरांच्या संबंधीत भरती प्रक्रिये करीता विचार केला जाणार नाही.

९.२.५ अर्ज सादर करण्याची प्रक्रिया/कालावधी :-

| अ.क्र. | तपशील | विहित कालावधी |
|---|---|---|
| १ | अर्ज सदर करण्याचा कालावधी | दि.०३.०९.२०२५ रोजीपासून<br>दि.२४.०९.२०२५ पर्यंत २३.५९ पर्यत |
| २ | ऑनलाईन पध्दतीने विहित परीक्षा शुल्क भरण्याचा अंतिम दिनांक | दि.२४.०९.२०२५ पर्यंत २३.५९ पर्यत |
| ३ | परिक्षेचा दिनांक व कालावधी | gmcjjh.edu.in व www.med-edu.in संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात येईल तसेच उमेदवरांच्या प्रवेशपत्राद्वारे कळविण्यात येईल. |

**१०. दिव्यांग उमेदवार :- लेखनिक व अनुग्रह कालावधी बाबत :-**

१०.१ लक्षणीय दिव्यागंत्व असलेल्या उमेदवारांना परीक्षेच्या वेळी लेखनिक व इतर सोयी सवलती उपलब्ध करुन देण्या संदर्भात शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्रमांक दिव्यांग २०११/प्र.क्र.२००/दि.क २ दिनांक ०५ ऑक्टोंबर २०२१ अन्वये जारी करण्यात आलेल्या लक्षणीय (Benchamark) दिव्यांग व्यक्तीच्या बाबत ऑनलाईन परीक्षा घेण्याबाबतची मार्गदर्शिका - २०२१ तसेच तद्नंतर शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशा नुसार कार्यावाही करण्यास येईल.

१०.२ प्रत्यक्ष परिक्षेच्या वेळी उत्तरे लिहिण्यासाठी सक्षम नसलेल्या पात्र दिव्यांग उमेदवारांना लेखनिकाची मदत आणि अथवा अनुग्रह कालावधीची आवश्यकता असल्यास संबंधीत उमेदवरांने ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज सादर केल्याच्या दिनांकापासून सात (७) दिवसाच्या आत आवश्यक प्रमाणपत्र/कागदपत्रांसह विहित नमुन्यामध्ये या कार्यालयाकडे लेखी विनंती करुन पुर्व परवानगी घेणे आवश्यक आहे.

१०.३ लेखनिकाची व्यवस्था उमेदवारांकडून स्वत: केली जाणार आहे की कार्यालयामार्फत लेखनिकाची व्यवस्था करावी लागणार आहे. याचा स्पष्ट उल्लेख जाहिरातीस अनुसरुन ऑनलाईन पध्दतीने केलेल्या अर्जा मध्ये असल्यास विहित नमुन्याद्वारे प्राप्त लेखी विनंतीचा विचार केला जाईल.

१०.४ अर्जा मध्ये मागणी केली नसल्यास तसेच शासनाची विहित पध्दतीने पुर्व परवाणगी घेतली नसल्यास ऐनवेळी लेखनिकाची मदत घेता येणार नाही अथवा अनुग्रह कालावधी अनुज्ञेय असणार नाही.

१०.५ परिक्षे करीता लेखनिकाची मदत आणि/अथवा अनुग्रह कालावधीची परवागनी दिलेल्या पात्र उमेदवारांची यादी कार्यालयाच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात येईल. तसेच लेखनिकाची मदत आणि/अथवा अनुग्रह कालावधीच्या

१०.६ प्रत्यक्ष परिक्षेच्या वेळी लेखनिका व अनुग्रह कालावधीचा लाभ घेण्यास इच्छूक असलेल्या दिव्यांग उमेदवारांनी प्रसिध्द करण्यात आलेल्या जाहिरातीस अनुसरुन अर्ज सादर करण्यापुर्वी कार्यालयाचे संकेत स्थळावर प्रसिध्द करण्यात आलेल्या दिव्यांग उमेदवारां करीता मार्गदर्शक सूचनाचे अवलोकन करणे उमेदवरांचे हिताचे राहिल.

११. निवड सूचीची कालमर्यादा

अ.निवड समितीने तयार केलेली निवड सूची १ वर्षासाठी किंवा निवड सुची तयार करताना ज्या दिनांकपर्यंतची स्थित पदे विचारात घेण्यात आली आहेत. त्या दिनांकापर्यत, या पैकी जे नंतर घडेल त्या दिनांकापर्यंत विधी ग्राहय राहिल.तद्नंतर ही निवड सूची व्यपगत होईल. भरती प्रक्रिये दरम्यान महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने भरती प्रक्रिया निवड सूची प्रतिज्ञा सुची व्यपगत होईल **भरती प्रक्रिये दरम्यान महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने भरती प्रक्रिया निवड सूची प्रतिज्ञा इत्यादीचे अनुषंगाने दिलेले निर्देश तथा सुचना किंवा सुधारणा यथास्थितीत लागु राहतील.**

ब. निवड समितीने तयार केलेल्या निवड सुचीमधुन जेष्ठते नुसार उमेदवरांची नियुक्तीसाठी शिफारस केल्या नंतर शिफारस केलेला उमेदवार सदर पदावर विहित मुदतीत रुजू न झाल्यास किंवा संबंधित पदाच्या सेवाप्रवेश नियमातील तरतुदी नुसार, किंवा जात प्रमाणपत्र अन्य आवश्यक प्रामणपत्रांची अनुपलब्धता अवैधता किंवा अन्य कोणत्याही कारणास्तव नियुक्तीसाठी पात्र ठरत नसल्याचे आढळून आल्यास अथवा शिफारस केलेला उमेदवार रुजू झाल्या नंतर नजिकच्या कालावधीत त्यांने राजीनामा दिल्यामुळे किंवा त्याचा मृत्यु झाल्याने पद रिक्त झाल्यास, अशी पदे त्या त्या प्रवर्गातच्या निवड सुचीतील प्रतिक्षा यादीतील उमदेवारांमधून निवड सुचीच्या कालमर्यादेत वरिष्ठते नुसार उतरत्या क्रमाने भरण्यात येतील तथापी, भरती प्रक्रिये दरम्यान महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने भरती प्रक्रिया, निवड सुची , प्रतिक्षा सुची इत्यादीचे अनुषंगाने दिलेले निर्देश तथा सुचना किंवा सुधारणा यथास्थितीत लागू राहतील.

१२ प्रवेश प्रमाणपत्र :-

१२.१ परीक्षेस प्रवेश दिलेल्या उमेदवरांची प्रवेश पत्रे ऑनलाईन अर्ज प्रणालीच्या संकेत स्थळावर gmcjjh.edu.in उमेदवारांच्या प्रोफाईलद्वारे परीक्षेपुर्वी सर्वसाधारणपणे १० दिवस अगोदर उपलब्ध करुन देण्यात येईल. त्याची प्रत परीक्षेपुर्वी डाऊनलोड करुन प्रिंट काढून परीक्षेच्या वेळी सादर करणे आवश्यक आहे.

१२.२ परीक्षेच्या वेळी उमेदवाराने स्वत:चे प्रवेश प्रामणपत्र आणणे सक्तीचे आहे. त्या शिवाय, परीक्षेतस प्रवेश दिला जाणार नाही.

१२.३ प्रवेश प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन देण्यात आल्या नंतर उमेदवाराला त्याच्या अर्जात नमुद नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर लघुसंदेशाद्वारे कळविण्यात येईल. या बाबतची घोषणा कार्यालयाच्या संकेत स्थळावर परीक्षेपूर्वी एक आठवडा आगोदर प्रसिध्द करण्यात येईल.

१२.४ परीक्षेच्या दिनांकपूर्वी ३ दिवस अगोदर प्रवेश प्रामणपत्र प्राप्त न झाल्यास अर्ज सादर केल्याच्या आवश्यक पुराव्यासह संबधित कार्यालयाच्या मदत कक्षाकडे संपर्क साधवा.

१२.५ परीक्षच्या वेळी स्वत:च्या ओळखीच्या पुराव्यासाठी स्वत:चे आधार कार्ड, निवडणुक आयोगाचे ओळखपत्र, पासपोर्ट, पॅनकार्ड किंवा फक्त स्मार्ट कार्ड प्रकारचे ड्रायव्हिंग लायसेन्स यापैकी किमान कोणतेही एक मुळ ओळखपत्र तसेच मुळ ओळखपत्राची छायांकित प्रत सोबतआणणे अनिवार्य आहे.

१२.६ आधार कार्डच्या ऐवजी भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (UIDAI) च्या संकेत स्थळावरुन डाऊनलोड केलले ई- आधार सादर करणाऱ्या उमेदवरांच्या बाबतीत ई-आधार पर उमेदवारांचे नांव, पत्ता, लिंग, फोटो, जन्म दिनांक या तपशीलासह आधार निर्मितीचा दिनांक (Date of Aadhar Generation) व आधार डाऊनलोड केल्याचा दिनांक असल्यासच तसेच सुस्पष्ट फोटोसह रंगीत प्रिंटमध्ये आधार डाऊनलोड केले असल्यास ई-आधार वैध मानण्यात येईल.

१२.७ नावा मध्ये बदल केलेला असल्यास विवाह निबंधक यांनी दिलेला दाखला (विहित स्रियांच्या बाबतीत) नावांत बदल झाल्या संबंधी अधिसुचित कलेले राजपत्र किंवा राजपत्रित अधिकारी यांच्याकडून नावात बदल झाल्या संबंधिचा दाखला व त्याची व छायांकित प्रत परीक्षेच्या वेळी सादर करणे आवश्यक आहे.

१२.८ प्रवेशपत्र उमेदवाराने जपून ठेवावे व पुढील प्रक्रियेसाठी आवश्यक राहिल.

१३.परीक्षेस प्रवेश

संबधीत परीक्षेच्या प्रवेश प्रामणपत्रावर नमुद केलेल्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून उमेदवारांना परीक्षेच्या उपस्थितीसाठी पात्र समजण्यात येईल तथापि, परीक्षा सुरु होण्यापूर्वी नेमून दिलेल्या परीक्षा केंद्रावर दिलेल्या वेळे पुर्वी २ तास अगोदर ओळख तपासणीची पुर्तता करण्यासाठी उपस्थित राहवे लागेल.

१४. कोणत्याही परिस्थिती मध्ये परीक्षा सुरु झाल्या नंतर उमेदवारास परीक्षा केंद्रावर जाणार नाही. अशा उमेदवारांना पुनर्परीक्षा देण्याची कोणतीही व्यवस्था केली जाणार नाही.

१५ प्रस्तुत जाहिराती मध्ये परीक्षे संदर्भातील संक्षिप्त तपशील दिलेला आहे. अर्ज स्वीकारण्याची पध्दत, आवश्यक अर्हता, आरक्षण, वयो मर्यादा, शुल्क, निवडीची सर्वसाधारण प्रक्रिया, परीक्षा पध्दती, अभ्यासक्रम इत्यादी बाबतचा सविस्तर तपशीलासाठी संस्थेचे gmcjjh.edu.in या संकेत स्थळावरील उमेदवरांकरीता माहिती विभागतील सुचना अंतर्गत सर्वसाधारण सूचना तसेच परीक्षा या सदरा खालील गट ड (वर्ग-४) समकक्ष संवर्ग परीक्षा मध्ये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या माहितीचे कृपया अवलोकन करावे.

संवर्गाचेनाव:- कक्षसेवक
एकुण:- ३९ (एकोणचाळीस)
वेतनस्तर:- एस - ६१ (रु.१५०००-४७६००)

| प्रवर्ग | अ.जा. | अ.ज. | विजा अ | भज ब | भज क | भज ड | विमाप्र | इमाव | साशैमाप्र | आ.दु.मा. घटक | खुला | एकुण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | १३% | ७% | ३% | २.५०% | ३.५०% | २% | २% | १९% | १०% | १०% | ३८% | १००% |
| रिक्तपदे | ० | ३ | २ | १ | २ | १ | १ | ८ | ४ | ४ | १३ | ३९ |
| सर्वसाधारण | ० | १ | १ | १ | १ | १ | ० | २ | २ | २ | ४ | १५ |
| महिला ३०% | ० | १ | १ | ० | ० | ० | ० | ३ | २ | २ | ३ | १२ |
| खेडाळू ५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | ० | १ | २ |
| माजीसैनिक १५% | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ३ | ० | ० | २ | ६ |
| प्रकल्पग्रस्त ५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ |
| भुकंपग्रस्त २% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ |
| अनाथ १% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| अस्थिव्यंग, कर्णबधीर, अल्पदृष्टी, मतीमंदयापैकी ४% | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० | १ | २ |
| एकुण | ० | ३ | २ | १ | २ | १ | १ | ८ | ४ | ४ | १३ | ३९ |

संवर्गाचेनाव:-सुरक्षारक्षक /पहारेकरी,
एकुण:- २१ (एकविस)
वेतनस्तर:-एस - १ (रु.१५०००-४७६००)

| प्रवर्ग | अ.जा. | अ.ज. | विजा अ | भज ब | भज क | भज ड | विमाप्र | इमाव | साशैमाप्र | आ.दु.मा. घटक | खुला | एकुण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | १३% | ७% | ३% | २.५०% | ३.५०% | २% | २% | १९% | १०% | १०% | ३८% | १००% |
| रिक्तपदे | ० | ३ | १ | ० | १ | ० | ० | ३ | ४ | ३ | ६ | २१ |
| सर्वसाधारण २८% | ० | १ | ० | ० | १ | ० | ० | १ | ३ | २ | ४ | १२ |
| महिला ३०% | ० | १ | १ | ० | ० | ० | ० | १ | १ | १ | ० | ५ |
| खेडाळू ५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | ० | १ |
| माजीसैनिक १५% | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | २ |
| प्रकल्पग्रस्त ५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| भुकंपग्रस्त २% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| अनाथ १% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ |
| अस्थिव्यंग, कर्णबधीर, अल्पदृष्टी, मतीमंदयापैकी ४% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| एकुण | ० | ३ | १ | ० | १ | ० | ० | ३ | ४ | ३ | ६ | २१ |

संवर्गाचेनाव:-सहाय्यक स्वयंपाकी

एकुण:- ०९ (नऊ)

वेतनस्तर:-एस - १ (रु.१५०००-४७६००)

| प्रवर्ग | अ.जा. | अ.ज. | विजा अ | भज ब | भज क | भज ड | विमाप्र | इमाव | साशैमाप्र | आ.दु.मा. घटक | खुला | एकुण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | १३% | ७% | ३% | २.५०% | ३.५०% | २% | २% | १९% | १०% | १०% | ३८% | १००% |
| रिक्तपदे | ० | १ | १ | १ | ० | १ | १ | २ | १ | १ | ० | ९ |
| सर्वसाधारण २८% | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | १ | ० | ३ |
| महिला ३०% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ | १ | ० | ० | ३ |
| खेडाळू ५% | ० | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ |
| माजीसैनिक १५% | ० | ० | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ |
| प्रकल्पग्रस्त ५% | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० | १ |
| भुकंपग्रस्त २% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| अनाथ १% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| अस्थिव्यंग, कर्णबधीर, अल्पदृष्टी, मतीमंदयापैकी ४% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| एकुण | ० | १ | १ | १ | ० | १ | १ | २ | १ | १ | ० | ९ |

संवर्गाचेनाव:-हमाल /मजदुर

एकुण:- ०८ (आठ)

वेतनस्तर:-एस - १ (रु.१५०००-४७६००)

| प्रवर्ग | अ.जा. | अ.ज. | विजा अ | भज ब | भज क | भज ड | विमाप्र | इमाव | साशैमाप्र | आ.दु.मा. घटक | खुला | एकुण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | १३% | ७% | ३% | २.५०% | ३.५०% | २% | २% | १९% | १०% | १०% | ३८% | १००% |
| रिक्तपदे | ० | ४ | ० | ० | ० | ० | ० | ३ | ० | ० | १ | ८ |
| सर्वसाधारण २८% | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० | २ | ० | ० | १ | ४ |
| महिला ३०% | ० | २ | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | ० | ३ |
| खेडाळू ५% | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ |
| माजीसैनिक १५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| प्रकल्पग्रस्त ५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| भुकंपग्रस्त २% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| अनाथ १% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| अस्थिव्यंग, कर्णबधीर, अल्पदृष्टी, मतीमंदयापैकी ४% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| एकुण | ० | ४ | ० | ० | ० | ० | ० | २ | ० | ० | ० | ८ |

संवर्गाचेनाव:-शिपाई / चपरासी

एकुण:- १४ ( चौदा)

वेतनस्तर:-एस - १ (रु.१५०००-४७६००)

| प्रवर्ग | अ.जा. | अ.ज. | विजा अ | भज ब | भज क | भज ड | विमाप्र | इमाव | साशैमाप्र | आ.दृ.मा. घटक | खुला | एकुण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | १३% | ७% | ३% | २.५०% | ३.५०% | २% | २% | १९% | १०% | १०% | ३८% | १००% |
| रिक्तपदे | ० | ४ | १ | १ | ० | १ | ० | ३ | १ | १ | २ | १४ |
| सर्वसाधारण २८% | ० | ३ | १ | १ | ० | ० | ० | १ | १ | ० | २ | ९ |
| महिला ३०% | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | ० | २ |
| खेडाळू ५% | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० | १ |
| माजीसैनिक १५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | १ |
| प्रकल्पग्रस्त ५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | ० | ० |
| भुकंपग्रस्त २% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| अनाथ १% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| अस्थिव्यंग, कर्णबधीर, अल्पदृष्टी, मतीमंदयापैकी ४% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| एकुण | ० | ४ | १ | १ | ० | १ | ० | ३ | १ | १ | २ | १४ |

संवर्गाचेना :माळी

एकुण:- ०४ (चार )

वेतनस्तर:-एस - १ (रु.१५०००-४७६००)

| प्रवर्ग | अ.जा. | अ.ज. | विजा अ | भज ब | भज क | भज ड | विमाप्र | इमाव | साशैमाप्र | आ.दृ.मा. घटक | खुला | एकुण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | १३% | ७% | ३% | २.५०% | ३.५०% | २% | २% | १९% | १०% | १०% | ३८% | १००% |
| रिक्तपदे | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ३ | ० | १ | ० | ४ |
| सर्वसाधारण२८% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २ | ० | ० | ० | २ |
| महिला ३०% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | ० | १ |
| खेडाळू ५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| माजीसैनिक १५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | १ |
| प्रकल्पग्रस्त ५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| भुकंपग्रस्त २% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| अनाथ १% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| अस्थिव्यंग, कर्णबधीर, अल्पदृष्टी, मतीमंदयापैकी ४% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| एकुण | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ३ | ० | १ | ० | ४ |

संवर्गाचेनाव:-पोस्टमॉटम परिचर
एकुण:- ०१ (एक)
वेतनस्तर:-एस - १ (रु.१५०००-४७६००)

| प्रवर्ग | अ.जा. | अ.ज. | विजा अ | भज ब | भज क | भज ड | विमाप्र | इमाव | साशैमाप्र | आ.दु.मा. घटक | खुला | एकुण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | १३% | ७% | ३% | २.५०% | ३.५०% | २% | २% | १९% | १०% | १०% | २८% | १००% |
| रिक्त पदे | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० | १ |
| सर्वसाधारण २८% | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० | १ |
| महिला ३०% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| खेडाळू ५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| माजीसैनिक १५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| प्रकल्पग्रस्त ५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| भुकंपग्रस्त २% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| अनाथ १% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| अस्थिव्यंग, कर्णबधीर, अल्पदृष्टी, मतीमंदयापैकी ४% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| एकुण | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० | १ |

संवर्गाचेनाव:-आया
एकुण:-०७ (सात)
वेतनस्तर:-एस - १ (रु.१५०००-४७६००)

| प्रवर्ग | अ.जा. | अ.ज. | विजा अ | भज ब | भज क | भज ड | विमाप्र | इमाव | साशैमाप्र | आ.दु.मा. घटक | खुला | एकुण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | १३% | ७% | ३% | २.५०% | ३.५०% | २% | २% | १९% | १०% | १०% | २८% | १००% |
| रिक्त पदे | ० | ० | १ | १ | ० | ० | १ | ० | १ | २ | १ | ७ |
| सर्वसाधारण २८% | ० | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ | ३ |
| महिला ३०% | ० | ० | ० | १ | ० | ० | १ | ० | ० | ० | ० | २ |
| खेडाळू ५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | १ |
| माजीसैनिक १५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | १ |
| प्रकल्पग्रस्त ५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| भुकंपग्रस्त २% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| अनाथ १% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| अस्थिव्यंग, कर्णबधीर, अल्पदृष्टी, मतीमंदयापैकी ४% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | ० |
| एकुण | ० | ० | १ | १ | ० | ० | १ | ० | १ | २ | १ | ७ |

संवर्गाचेनाव:-क्ष-किरण सेवक

एकुण:- ०१ (एक)

वेतनस्तर:-एस - १ (रु.१५०००-४७६००)

| प्रवर्ग | अ.जा. | अ.ज. | विजा अ | भज ब | भज क | भज ड | विमाप्र | इमाव | साशैमाप्र | आ.दु.मा. घटक | खुला | एकुण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | १३% | ७% | ३% | २.५०% | ३.५०% | २% | २% | १९% | १०% | १०% | ३८% | १००% |
| रिक्तपदे | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | ० | १ |
| सर्वसाधारण २८% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | ० | १ |
| महिला ३०% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| खेडाळू ५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| माजीसैनिक १५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० |
| प्रकल्पग्रस्त ५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| भुकंपग्रस्त २% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| अनाथ १% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| अस्थिव्यंग, कर्णबधीर, अल्पदृष्टी, मतीमंदयापैकी ४% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| एकुण | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | ० | १ |

संवर्गाचेनाव:-प्रयोगशाळा परिचर

एकुण:०६ (सहा)

वेतनस्तर:-एस - १ (रु.१५०००-४७६००)

| प्रवर्ग | अ.जा. | अ.ज. | विजा अ | भज ब | भज क | भज ड | विमाप्र | इमाव | साशैमाप्र | आ.दु.मा. घटक | खुला | एकुण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | १३% | ७% | ३% | २.५०% | ३.५०% | २% | २% | १९% | १०% | १०% | २८% | १००% |
| रिक्तपदे | ० | १ | १ | ० | ० | १ | १ | १ | १ | ० | ० | ६ |
| सर्वसाधारण २८% | ० | १ | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २ |
| महिला ३०% | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ | ० | ० | ० | ० | २ |
| खेडाळू ५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | ० | १ |
| माजीसैनिक १५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | १ |
| प्रकल्पग्रस्त ५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| भुकंपग्रस्त २% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| अनाथ १% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| अस्थिव्यंग, कर्णबधीर, अल्पदृष्टी, मतीमंदयापैकी ४% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| एकुण | ० | १ | १ | ० | ० | १ | १ | १ | १ | ० | ० | ६ |

संवर्गाचेनाव:- प्रयोगशाळा सेवक

एकुण:-११ (अकरा)

वेतनस्तर:- एस - १ (रु.१५०००-४७६००)

| प्रवर्ग | अ.जा. | अ.ज. | विजा अ | भज ब | भज क | भज ड | विमाप्र | इमाव | साशैमाप्र | आ.दु.मा. घटक | खुला | एकुण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | १३% | ७% | ३% | २.५०% | ३.५०% | २% | २% | १९% | १०% | १०% | ३८% | १००% |
| रिक्तपदे | १ | १ | १ | १ | ० | ० | ० | ३ | १ | १ | २ | ११ |
| सर्वसाधारण२८% | ० | १ | १ | ० | ० | ० | ० | १ | ० | १ | ० | ४ |
| महिला ३०% | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २ | ० | ० | ० | ३ |
| खेडाळू ५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | १ |
| माजीसैनिक १५% | ० | ० | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ |
| प्रकल्पग्रस्त ५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| भुकंपग्रस्त २% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ |
| अनाथ १% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| अस्थिव्यंग, कर्णबधीर, अल्पदृष्टी, मतीमंदयापैकी ४% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ |
| एकुण | १ | १ | १ | १ | ० | ० | ० | ३ | १ | १ | २ | ११ |

संवर्गाचेनाव:-सेवक

एकुण:- ०८ (आठ)

वेतनस्तर:- एस - १ (रु.१५०००-४७६००)

| प्रवर्ग | अ.जा. | अ.ज. | विजा अ | भज ब | भज क | भज ड | विमाप्र | इमाव | साशैमाप्र | आ.दु.मा. घटक | खुला | एकुण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | १३% | ७% | ३% | २.५०% | ३.५०% | २% | २% | १९% | १०% | १०% | ३८% | १००% |
| रिक्तपदे | १ | १ | ० | ० | ० | ० | ० | २ | ० | १ | ३ | ८ |
| सर्वसाधारण२८% | १ | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ३ |
| महिला ३०% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २ | ० | ० | १ | ३ |
| खेडाळू ५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| माजीसैनिक १५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ |
| प्रकल्पग्रस्त ५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ |
| भुकंपग्रस्त २% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| अनाथ १% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| अस्थिव्यंग, कर्णबधीर, अल्पदृष्टी, मतीमंदयापैकी ४% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| एकुण | १ | १ | ० | ० | ० | ० | ० | २ | ० | १ | ३ | ८ |

संवर्गाचेनाव:- दवाखाना सेवक

एकुण:- ०२ (दोन)

वेतनस्तर:-एस - १ (रु.१५०००-४७६००)

| प्रवर्ग | अ.जा. | अ.ज. | विजा अ | भज ब | भज क | भज ड | विमाप्र | इमाव | साशैमाप्र | आ.दु.मा. घटक | खुला | एकुण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | १३% | ७% | ३% | २.५०% | ३.५०% | २% | २% | १९% | १०% | १०% | ३८% | १००% |
| रिक्तपदे | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | १ | ० | २ |
| सर्वसाधारण २८% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | १ | ० | २ |
| महिला ३०% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| खेडाळू ५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| माजीसैनिक १५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| प्रकल्पग्रस्त ५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| भुकंपग्रस्त २% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| अनाथ १% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| अस्थिव्यंग, कर्णबधीर, अल्पदृष्टी, मतीमंदयापैकी ४% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| एकुण | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | १ | ० | २ |

संवर्गाचेनाव:-रुग्णपट वाहक

एकुण:- ०२ (दोन)

वेतनस्तर:-एस - १ (रु.१५०००-४७६००)

| प्रवर्ग | अ.जा. | अ.ज. | विजा अ | भज ब | भज क | भज ड | विमाप्र | इमाव | साशैमाप्र | आ.दु.मा. घटक | खुला | एकुण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | १३% | ७% | ३% | २.५०% | ३.५०% | २% | २% | १९% | १०% | १०% | ३८% | १००% |
| रिक्तपदे | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | १ | २ |
| सर्वसाधारण २८% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | ० | १ |
| महिला ३०% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ |
| खेडाळू ५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| माजीसैनिक १५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| प्रकल्पग्रस्त ५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| भुकंपग्रस्त २% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| अनाथ १% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| अस्थिव्यंग, कर्णबधीर, अल्पदृष्टी, मतीमंदयापैकी ४% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| एकुण | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | १ | २ |

संवर्गाचेनाव:-अंधारगृह परिचर

एकुण:- ०४ (चार)

वेतनस्तर:-एस - १ (रु.१५०००-४७६००)

| प्रवर्ग | अ.जा. | अ.ज. | विजा अ | भज ब | भज क | भज ड | विमाप्र | इमाव | साशैमाप्र | आ.दु.मा. घटक | खुला | एकुण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | १३% | ७% | ३% | २.५०% | ३.५०% | २% | २% | १९% | १०% | १०% | ३८% | १००% |
| रिक्तपदे | ० | १ | ० | १ | ० | १ | ० | १ | ० | ० | ० | ४ |
| सर्वसाधारण २८% | ० | १ | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २ |
| महिला ३०% | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० | १ |
| खेडाळू ५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| माजीसैनिक १५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | ० | १ |
| प्रकल्पग्रस्त ५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| भुकंपग्रस्त २% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| अनाथ १% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| अस्थिव्यंग, कर्णबधीर, अल्पदृष्टी, मतीमंदयापैकी ४% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| एकुण | ० | १ | ० | १ | ० | १ | ० | १ | ० | ० | ० | ४ |

संवर्गाचेनाव:- संग्रालय परिचर

एकुण:- ०१ (एक)

वेतनस्तर:-एस - १ (रु.१५०००-४७६००)

| प्रवर्ग | अ.जा. | अ.ज. | विजा अ | भज ब | भज क | भज ड | विमाप्र | इमाव | साशैमाप्र | आ.दु.मा. | खुला | एकुण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | घटक | | |
| | १३% | ७% | ३% | २.५०% | ३.५०% | २% | २% | १९% | १०% | १०% | ३८% | १००% |
| रिक्तपदे | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ |
| सर्वसाधारण २८% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ |
| महिला ३०% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| खेडाळू ५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| माजीसैनिक १५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| प्रकल्पग्रस्त ५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| भुकंपग्रस्त २% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| अनाथ १% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| अस्थिव्यंग, कर्णबधीर, अल्पदृष्टी, मतीमंदयापैकी ४% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| एकुण | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ |

संवर्गाचेनाव:- प्राणी गृहपाल

एकुण:- ०१ (एक)

वेतनस्तर:-एस - १ (रु.१५०००-४७६००)

| प्रवर्ग | अ.जा. | अ.ज. | विजा अ | भज ब | भज क | भज ड | विमाप्र | इमाव | साशैमाप्र | आ.दृ.मा. घटक | खुला | एकुण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | १३% | ७% | ३% | २.५०% | ३.५०% | २% | २% | १९% | १०% | १०% | ३८% | १००% |
| रिक्तपदे | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | १ |
| सर्वसाधारण २८% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | १ |
| महिला ३०% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| खेडाळू ५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| माजीसैनिक १५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| प्रकल्पग्रस्त ५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| भुकंपग्रस्त २% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| अनाथ १% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| अस्थिव्यंग, कर्णबधीर, अल्पदृष्टी, मतीमंदयापैकी ४% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| एकुण | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | १ |

संवर्गाचेनाव:-न्हावी

एकुण:-१ (एक)

वेतनस्तर:-एस - १ (रु.१५०००-४७६००)

| प्रवर्ग | अ.जा. | अ.ज. | विजा अ | भज ब | भज क | भज ड | विमाप्र | इमाव | साशैमाप्र | आ.दृ.मा. घटक | खुला | एकुण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | १३% | ७% | ३% | २.५०% | ३.५०% | २% | २% | १९% | १०% | १०% | ३८% | १००% |
| रिक्तपदे | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | ० | १ |
| सर्वसाधारण २८ % | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | ० | १ |
| महिला ३०% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| खेडाळू ५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| माजीसैनिक १५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | ० | ० | ० | ० |
| प्रकल्पग्रस्त ५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| भुकंपग्रस्त २% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| अनाथ १% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| अस्थिव्यंग, कर्णबधीर, अल्पदृष्टी, मतीमंदयापैकी ४% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| एकुण | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | ० | १ |

संवर्गाचेनाव:-भंडार कर्मचारी

एकुण:- ०४ (चार)

वेतनस्तर:-एस - १ (रु.१५०००-४७६००)

| प्रवर्ग | अ.जा. | अ.ज. | विजा अ | भज ब | भज क | भज ड | विमाप्र | इमाव | साशैमाप्र | आ.दु.मा. घटक | खुला | एकुण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | १३% | ७% | ३% | २.५०% | ३.५०% | २% | २% | १९% | १०% | १०% | ३८% | १००% |
| रिक्तपदे | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० | २ | १ | ० | ० | ४ |
| सर्वसाधारण २८% | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | ० | २ |
| महिला ३०% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | १ |
| खेडाळू ५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| माजीसैनिक १५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | ० | १ |
| प्रकल्पग्रस्त ५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| भुकंपग्रस्त २% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| अनाथ १% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| अस्थिव्यंग, कर्णबधीर, अल्पदृष्टी, मतीमंदयापैकी ४% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| एकुण | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० | २ | १ | ० | ० | ४ |

संवर्गाचेनाव:-पिजारी

एकुण:- ०१ (एक)

वेतनस्तर:-एस - १ (रु.१५०००-४७६००)

| प्रवर्ग | अ.जा. | अ.ज. | विजा अ | भज ब | भज क | भज ड | विमाप्र | इमाव | साशैमाप्र | आ.दु.मा. घटक | खुला | एकुण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | १३% | ७% | ३% | २.५०% | ३.५०% | २% | २% | १९% | १०% | १०% | ३८% | १००% |
| रिक्तपदे | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | ० | १ |
| सर्वसाधारण २८% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | ० | १ |
| महिला ३०% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| खेडाळू ५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| माजीसैनिक १५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| प्रकल्पग्रस्त ५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| भुकंपग्रस्त २% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| अनाथ १% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| अस्थिव्यंग, कर्णबधीर, अल्पदृष्टी, मतीमंदयापैकी ४% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| एकुण | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | ० | १ |

संवर्गाचेनाव:-रामोशी

एकुण:- ०१ (एक)

वेतनस्तर:-एस - १ (रु.१५०००-४७६००)

| प्रवर्ग | अ.जा. | अ.ज. | विजा अ | भज ब | भज क | भज ड | विमाप्र | इमाव | साशैमाप्र | आ.दृ.मा. घटक | खुला | एकुण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | १३% | ७% | ३% | २.५०% | ३.५०% | २% | २% | १९% | १०% | १०% | ३८% | १००% |
| रिक्तपदे | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | ० | १ |
| सर्वसाधारण २८% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | ० | १ |
| महिला ३०% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| खेडाळू ५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| माजीसैनिक १५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| प्रकल्पग्रस्त ५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| भुकंपग्रस्त २% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| अनाथ १% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| अस्थिव्यंग, कर्णबधीर, अल्पदृष्टी, मतीमंदयापैकी ४% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| एकुण | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | ० | १ |

संवर्गाचेनाव:-चतुर्थश्रेणी कर्मचारी

एकुण:- ०४ (चार)

वेतनस्तर:-एस - १ (रु.१५०००-४७६००)

| प्रवर्ग | अ.जा. | अ.ज. | विजा अ | भज ब | भज क | भज ड | विमाप्र | इमाव | साशैमाप्र | आ.दृ.मा.घटक | खुला | एकुण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | १३% | ७% | ३% | २.५०% | ३.५०% | २% | २% | १९% | १०% | १०% | २८% | १००% |
| रिक्त पदे | ० | ० | १ | १ | ० | ० | ० | ० | १ | १ | ० | ४ |
| सर्वसाधारण २८% | ० | ० | १ | १ | ० | ० | ० | ० | १ | १ | ० | ४ |
| महिला ३०% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| खेडाळू ५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| माजीसैनिक १५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| प्रकल्पग्रस्त ५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| भुकंपग्रस्त २% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| अनाथ १% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| अस्थिव्यंग, कर्णबधीर, अल्पदृष्टी, मतीमंदयापैकी ४% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| एकुण | ० | ० | १ | १ | ० | ० | ० | ० | १ | १ | ० | ४ |

संवर्गाचेनाव:- ग्रंथालय सेवक

एकुण:- ०१ (एक)

वेतनस्तर:-एस - १ (रु.१५०००-४७६००)

| प्रवर्ग | अ.जा. | अ.ज. | विजा अ | भज ब | भज क | भज ड | विमाप्र | इमाव | साशैमाप्र | आ.दु.मा.घटक | खुला | एकुण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | १३% | ७% | ३% | २.५०% | ३.५०% | २% | २% | १९% | १०% | १०% | ३८% | १००% |
| रिक्तपदे | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ |
| सर्वसाधारण २८% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० |
| महिला ३०% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | ० | ० |
| खेडाळू ५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| माजीसैनिक १५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| प्रकल्पग्रस्त ५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| भुकंपग्रस्त २% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| अनाथ १% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| अस्थिव्यंग, कर्णबधीर, अल्पदृष्टी, मतीमंदयापैकी ४% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| एकुण | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ |

## म.आ.पोदार रुग्णालय, मुंबई

संवर्गाचेनाव:-कक्षसेवक

एकुण:-२८ (अठठावीस)

वेतनस्तर:-एस - १ (रु.१५०००-४७६००)

| प्रवर्ग | अ.जा. | अ.ज. | विजा अ | भज ब | भज क | भज ड | विमाप्र | इमाव | साशैमाप्र | आ.दु.मा. घटक | खुला | एकुण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | १३% | ७% | ३% | २.५०% | ३.५०% | २% | २% | १९% | १०% | १०% | २८% | १००% |
| रिक्त पदे | ३ | २ | १ | १ | ३ | १ | १ | ४ | ३ | ३ | ६ | २८ |
| सर्वसाधारण २८% | २ | १ | १ | १ | २ | १ | १ | २ | २ | २ | २ | १७ |
| महिला ३०% | १ | १ | ० | ० | १ | ० | ० | १ | १ | १ | २ | ८ |
| खेडाळू ५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| माजीसैनिक १५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | १ | २ |
| प्रकल्पग्रस्त ५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| भुकंपग्रस्त २% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| अनाथ १% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| अस्थिव्यंग, कर्णबधीर, अल्पदृष्टी, मतीमंदयापैकी ४% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ |
| एकुण | ३ | २ | १ | १ | ३ | १ | १ | ४ | ३ | ३ | ६ | २८ |

संवर्गाचेनाव:-सेवक

एकुण:०१ (एक)

वेतनस्तर:-एस - १ (रु.१५०००-४७६००)

| प्रवर्ग | अ.जा. | अ.ज. | विजा अ | भज ब | भज क | भज ड | विमाप्र | इमाव | साशैमाप्र | आ.दु.मा. घटक | खुला | एकुण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | १३% | ७% | ३% | २.५०% | ३.५०% | २% | २% | १९% | १०% | १०% | २८% | १००% |
| रिक्तपदे | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | ० | १ |
| सर्वसाधारण २८% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | ० | १ |
| महिला ३०% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| खेडाळू ५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| माजीसैनिक १५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| प्रकल्पग्रस्त ५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| भुकंपग्रस्त २% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| ानाथ १% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| अस्थिव्यंग, कर्णबधीर, अल्पदृष्टी, मतीमंदयापैकी ४% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| एकुण | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | ० | १ |

संवर्गाचेनाव:- शिपाई

एकुण:- ०२ (दोन)

वेतनस्तर:- एस - ६१ (रु.१५०००-४७६००)

| प्रवर्ग | अ.जा. | अ.ज. | विजा अ | भज ब | भज क | भज ड | विमाप्र | इमाव | साशैमाप्र | आ.दु.मा. घटक | खुला | एकुण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | १३% | ७% | ३% | २.५०% | ३.५०% | २% | २% | १९% | १०% | १०% | ३८% | १००% |
| रिक्तपदे | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | १ | २ |
| र्वसाधारण | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | १ | २ |
| महिला ३०% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| खेडाळू ५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| माजीसैनिक १५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| प्रकल्पग्रस्त ५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| भुकंपग्रस्त २% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| अनाथ १% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| अस्थिव्यंग, कर्णबधीर, अल्पदृष्टी, मतीमंदयापैकी ४% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| एकुण | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | १ | २ |

संवर्गाचेनाव:- पहारेकरी
एकुण:-०२ (दोन)
वेतनस्तर:- एस - १ (रु.१५०००-४७६००)

| प्रवर्ग | अ.जा. | अ.ज. | विजा अ | भज ब | भज क | भज ड | विमाप्र | इमाव | साशैमाप्र | आ.दु.मा. घटक | खुला | एकुण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | १३% | ७% | ३% | २.५०% | ३.५०% | २% | २% | १९% | १०% | १०% | ३८% | १००% |
| रिक्तपदे | ० | १ | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २ |
| सर्वसाधारण२८% | ० | १ | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २ |
| महिला ३०% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| खेडाळू ५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| माजीसैनिक १५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| प्रकल्पग्रस्त ५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| भुकंपग्रस्त २% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| अनाथ १% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| अस्थिव्यंग, कर्णबधीर, अल्पदृष्टी, मतीमंदयापैकी ४% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| एकुण | ० | १ | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २ |

संवर्गाचेनाव:-इलेक्ट्रिकल कुली
एकुण:-१ (एक)
वेतनस्तर:-एस - १ (रु.१५०००-४७६००)

| प्रवर्ग | अ.जा. | अ.ज. | विजा अ | भज ब | भज क | भज ड | विमाप्र | इमाव | साशैमाप्र | आ.दु.मा. घटक | खुला | एकुण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | १३% | ७% | ३% | २.५०% | ३.५०% | २% | २% | १९% | १०% | १०% | ३८% | १००% |
| रिक्तपदे | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ |
| सर्वसाधारण २८ % | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ |
| महिला ३०% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| खेडाळू ५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| माजीसैनिक १५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | ० | ० | ० | ० |
| प्रकल्पग्रस्त ५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| भुकंपग्रस्त २% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| अनाथ १% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| अस्थिव्यंग, कर्णबधीर, अल्पदृष्टी, मतीमंदयापैकी ४% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| एकुण | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ |

संवर्गाचेनाव:- क्ष किरण सेवक

एकुण:- ०१ (एक)

वेतनस्तर:-एस - १ (रु.१५०००-४७६००)

| प्रवर्ग | अ.जा. | अ.ज. | विजा अ | भज ब | भज क | भज ड | विमाप्र | इमाव | साशैमाप्र | आ.दु.मा. घटक | खुला | एकुण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | १३% | ७% | ३% | २.५०% | ३.५०% | २% | २% | १९% | १०% | १०% | ३८% | १००% |
| रिक्तपदे | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ |
| सर्वसाधारण २८% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ |
| महिला ३०% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| खेडाळू ५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| माजीसैनिक १५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० |
| प्रकल्पग्रस्त ५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| भुकंपग्रस्त २% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| अनाथ १% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| अस्थिव्यंग, कर्णबधीर, अल्पदृष्टी, मतीमंदयापैकी ४% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| एकुण | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ |

संवर्गाचेनाव:-धोबी

एकुण:- ०१ (एक)

वेतनस्तर:-एस - १ (रु.१५०००-४७६००)

| प्रवर्ग | अ.जा. | अ.ज. | विजा अ | भज ब | भज क | भज ड | विमाप्र | इमाव | साशैमाप्र | आ.दु.मा. घटक | खुला | एकुण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | १३% | ७% | ३% | २.५०% | ३.५०% | २% | २% | १९% | १०% | १०% | ३८% | १००% |
| रिक्तपदे | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ |
| सर्वसाधारण २८% | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ |
| महिला ३०% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| खेडाळू ५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| माजीसैनिक १५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| प्रकल्पग्रस्त ५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| भुकंपग्रस्त २% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| अनाथ १% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| अस्थिव्यंग, कर्णबधीर, अल्पदृष्टी, मतीमंदयापैकी ४% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| एकुण | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ |

संवर्गाचेनाव:-मसाजिस्ट (महिला)
एकुण:- ०५ ( पाच )
वेतनस्तर:-एस - १ (रु.१५०००-४७६००)

| प्रवर्ग | अ.जा. | अ.ज. | विजा अ | भज ब | भज क | भज ड | विमाप्र | इमाव | साशैमाप्र | आ.दु.मा. घटक | खुला | एकुण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | १३% | ७% | ३% | २.५०% | ३.५०% | २% | २% | १९% | १०% | १०% | ३८% | १००% |
| रिक्तपदे | ० | ० | १ | ० | ० | ० | ० | १ | १ | ० | २ | ५ |
| सर्वसाधारण २८% | ० | ० | १ | ० | ० | ० | ० | १ | १ | ० | १ | ४ |
| महिला ३०% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ |
| खेडाळू ५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| माजीसैनिक १५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २ |
| प्रकल्पग्रस्त ५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| भुकंपग्रस्त २% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| अनाथ १% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| अस्थिव्यंग, कर्णबधीर, अल्पदृष्टी, मतीमंदयापैकी ४% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| एकुण | ० | ० | १ | ० | ० | ० | ० | १ | १ | ० | २ | ५ |

संवर्गाचेना : मसाजिष्ट (पुरुष)
एकुण:- ०४ (चार )
वेतनस्तर:-एस - १ (रु.१५०००-४७६००)

| प्रवर्ग | अ.जा. | अ.ज. | विजा अ | भज ब | भज क | भज ड | विमाप्र | इमाव | साशैमाप्र | आ.दु.मा. घटक | खुला | एकुण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | १३% | ७% | ३% | २.५०% | ३.५०% | २% | २% | १९% | १०% | १०% | ३८% | १००% |
| रिक्तपदे | ० | ० | १ | ० | ० | ० | ० | १ | १ | ० | १ | ४ |
| सर्वसाधारण२८% | ० | ० | १ | ० | ० | ० | ० | १ | १ | ० | १ | ४ |
| महिला ३०% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| खेडाळू ५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| माजीसैनिक १५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| प्रकल्पग्रस्त ५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| भुकंपग्रस्त २% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| अनाथ १% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| अस्थिव्यंग, कर्णबधीर, अल्पदृष्टी, मतीमंदयापैकी ४% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| एकुण | ० | ० | १ | ० | ० | ० | ० | १ | १ | ० | १ | ४ |

# म.आ.पोदार महाविद्यालय, मुंबई

संवर्गाचेनाव:- पहारेकरी
एकुण:- ०७ (सात)
वेतनस्तर:- एस - ६१ (रु.१५०००-४७६००)

| प्रवर्ग | अ.जा. | अ.ज. | विजा अ | भज ब | भज क | भज ड | विमाप्र | इमाव | साशैमाप्र | आ.दु.मा. घटक | खुला | एकुण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | १३% | ७% | ३% | २.५०% | ३.५०% | २% | २% | १९% | १०% | १०% | ३८% | १००% |
| रिक्तपदे | ० | ० | ० | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | ० | ७ |
| सर्वसाधारण | ० | ० | ० | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | ० | ७ |
| महिला ३०% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| खेडाळू ५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| माजीसैनिक १५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| प्रकल्पग्रस्त ५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| भुकंपग्रस्त २% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| अनाथ १% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| अस्थिव्यंग, कर्णबधीर, अल्पदृष्टी, मतीमंदयापैकी ४% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| एकुण | ० | ० | ० | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | ० | ७ |

संवर्गाचेनाव: शिपाई
एकुण:- ०२ (दोन)
वेतनस्तर:-एस - १ (रु.१५०००-४७६००)

| प्रवर्ग | अ.जा. | अ.ज. | विजा अ | भज ब | भज क | भज ड | विमाप्र | इमाव | साशैमाप्र | आ.दु.मा. घटक | खुला | एकुण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | १३% | ७% | ३% | २.५०% | ३.५०% | २% | २% | १९% | १०% | १०% | २८% | १००% |
| रिक्त पदे | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | १ | २ |
| सर्वसाधारण २८% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | १ | २ |
| महिला ३०% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| खेडाळू ५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| माजीसैनिक १५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| प्रकल्पग्रस्त ५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| भुकंपग्रस्त २% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| अनाथ १% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| अस्थिव्यंग, कर्णबधीर, अल्पदृष्टी, मतीमंदयापैकी ४% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| एकुण | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | १ | २ |

संवर्गाचेनाव:-प्रयोगशाळा सेवक/

एकुण:- ०१ (एक)

वेतनस्तर:- एस - १ (रु.१५०००-४७६००)

| प्रवर्ग | अ.जा. | अ.ज. | विजा अ | भज ब | भज क | भज ड | विमाप्र | इमाव | साशैमाप्र | आ.दु.मा. घटक | खुला | एकुण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | १३% | ७% | ३% | २.५०% | ३.५०% | २% | २% | १९% | १०% | १०% | ३८% | १००% |
| रिक्तपदे | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | १ |
| सर्वसाधारण२८% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| महिला ३०% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| खेडाळू ५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| माजीसैनिक १५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| प्रकल्पग्रस्त ५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| भुकंपग्रस्त २% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| अनाथ १% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| अस्थिव्यंग, कर्णबधीर, अल्पदृष्टी, मतीमंदयापैकी ४% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | १ |
| एकुण | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | १ |

संवर्गाचेनाव:- सेवक

एकुण:- ०३ (तीन)

वेतनस्तर:-एस - १ (रु.१५०००-४७६००)

| प्रवर्ग | अ.जा. | अ.ज. | विजा अ | भज ब | भज क | भज ड | विमाप्र | इमाव | साशैमाप्र | आ.दु.मा. घटक | खुला | एकुण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | १३% | ७% | ३% | २.५०% | ३.५०% | २% | २% | १९% | १०% | १०% | ३८% | १००% |
| रिक्तपदे | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २ | ० | १ | ० | ३ |
| सर्वसाधारण २८% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | १ | ० | २ |
| महिला ३०% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | ० | १ |
| खेडाळू ५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| माजीसैनिक १५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| प्रकल्पग्रस्त ५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| भुकंपग्रस्त २% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| अनाथ १% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| अस्थिव्यंग, कर्णबधीर, अल्पदृष्टी, मतीमंदयापैकी ४% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| एकुण | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २ | ० | १ | ० | ३ |

संवर्गाचेनाव:- रसशाळा सेवक

एकुण:- ०१ (एक)

वेतनस्तर:-एस - १ (रु.१५०००-४७६००)

| प्रवर्ग | अ.जा. | अ.ज. | विजा अ | भज ब | भज क | भज ड | विमाप्र | इमाव | साशैमाप्र | आ.दु.मा. घटक | खुला | एकुण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | १३% | ७% | ३% | २.५०% | ३.५०% | २% | २% | १९% | १०% | १०% | ३८% | १००% |
| रिक्तपदे | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | ० | १ |
| सर्वसाधारण २८% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| महिला ३०% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | ० | १ |
| खेडाळू ५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| माजीसैनिक १५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| प्रकल्पग्रस्त ५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| भुकंपग्रस्त २% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| अनाथ १% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| अस्थिव्यंग, कर्णबधीर, अल्पदृष्टी, मतीमंदयापैकी ४% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| एकुण | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | ० | १ |

संवर्गाचेनाव:- शवविच्छेदन कक्षसेवक

एकुण:- ०१ (एक)

वेतनस्तर:-एस - १ (रु.१५०००-४७६००)

| प्रवर्ग | अ.जा. | अ.ज. | विजा अ | भज ब | भज क | भज ड | विमाप्र | इमाव | साशैमाप्र | आ.दु.मा. घटक | खुला | एकुण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | १३% | ७% | ३% | २.५०% | ३.५०% | २% | २% | १९% | १०% | १०% | ३८% | १००% |
| रिक्तपदे | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ |
| सर्वसाधारण २८% | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ |
| महिला ३०% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| खेडाळू ५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| माजीसैनिक १५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| प्रकल्पग्रस्त ५% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| भुकंपग्रस्त २% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| अनाथ १% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| अस्थिव्यंग, कर्णबधीर, अल्पदृष्टी, मतीमंदयापैकी ४% | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| एकुण | १. | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ |

१६. संस्थेचे gmcjjh.edu.in व www.med-edu.in संकेत स्थळावर प्रसिध्द करण्यात आलेली माहिती जाहितरा अधिक्तम समण्यात येईल.

१७. सदर जाहिरात संस्थेच्या gmcjjh.edu.in व www.med-edu.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध आहे.

**पुढील प्रमाणे रिक्त असलेल्या पदांची स्थिती**

| अ.क्र. | पदाचे नाव | संवर्ग | रिक्तपदांची संख्या |
|---|---|---|---|
| १ | कक्षसेवक | ड | ३९ |
| २ | सुरक्षारक्षक / पहारेकरी | ड | २१ |
| ३ | सहाय्यक स्वयंपाकी, बटलर, पॅन्टी बॉय | ड | ९ |
| ४ | हमाल, मजदूर | ड | ६ |
| ५ | मजदूर | ड | २ |
| ६ | शिपाई , कनिष्ठ चपराशी | ड | १४ |
| ७ | माळी | ड | ४ |
| ८ | पोस्ट मार्टम रुम परिचर | ड | १ |
| ९ | आया | ड | ७ |
| १० | क्ष किरण सेवक | ड | १ |
| ११ | प्रयोगशाळा परिचर | ड | ६ |
| १२ | प्रयोगशाळा सेवक | ड | ११ |
| १३ | सेवक | ड | ८ |
| १४ | दवाखाना सेवक | ड | २ |
| १५ | रुग्णपट वाहक | ड | २ |
| १६ | अंधारखोली परिचर | ड | ४ |
| १७ | संग्रहालय परिचर | ड | १ |
| १८ | प्राणिगृहपाल | ड | १ |
| १९ | न्हावी | ड | १ |
| २० | भांडार सेवक (कर्मचारी) | ड | ४ |
| २१ | पिंजारी | ड | १ |
| २२ | रामोशी | ड | १ |
| २३ | चतुर्थश्रेणी कर्मचारी | ड | ४ |
| २४ | ग्रंथालय सेवक | ड | १ |
| | | एकुण | १५१ |
| | म.आ.पोदार रुग्णालय,मुंबई | | |
| १ | कक्षसेवक | ड | २८ |
| २ | सेवक | ड | ०१ |
| ३ | शिपाई | ड | ०२ |
| ४ | पहारेकरी | ड | ०२ |
| ५ | इलेक्ट्रीकल कुली | ड | ०१ |
| ६ | क्ष-किरण सेवक | ड | ०१ |
| ७ | धोबी | ड | ०१ |
| ८ | मसाजिष्ट (महिला) | ड | ०५ |
| ९ | मसाजिष्ट (पुरुष) | ड | ०४ |
| | | एकुण | ४५ |

आ.पोदार वैद्यक महाविद्यालय, (आयु) मुंबई

| | | | |
|---|---|---|---|
| १ | पहारेकरी | ड | ०७ |
| २ | शिपाई | ड | ०२ |
| ३ | प्रयोगशाळा सेवक | ड | ०१ |
| ४ | सेवक | ड | ०३ |
| ५ | रसशाळा सेवक | ड | ०१ |
| ६ | शव विच्छेदन कक्ष सेवक | ड | ०१ |
| | | एकुण | १५ |

उपरोक्त पदाच्या कामकाजाचा अनुभव असल्याचे प्रामणपत्र उपलब्ध असल्यास सादर करावे.

वर नमुद पदांमध्ये व खालील आरक्षणात बदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच अधिकारी या कार्यालयाने राखून ठेवलेल आहेत.

**१. कार्यालयात, परीक्षा कक्षात, परीक्षा केंद्राच्या परिसरात, मोबाईल फोन अथवा इतर कोणत्याही प्रकारची इलेक्ट्रॉनिक साधने आणण्यास व वापरण्यास सक्त मनाई आहे.**

**२. प्रमाणपत्र तपासणीच्या वेळी पात्रते संदर्भातील सर्व मूळ प्रामणपत्रे सादर न केल्यास शिफारस नियुक्तीसाठी विचार करण्यात येणार नाही.**

गट ड (वर्ग-४) समकक्ष रिक्त पदे भरण्याकरीता जाहिरातीचे परिशिष्ठ

१.कार्यालय/विभाग आणि पत्ता :-वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागच्या अधिनस्त असलेले

१) सेंट जॉर्जेस रुग्णालय,मुंबई २) नागरी स्वास्थ केंद्र वांद्रे, मुंबई ३) परिचर्या शिक्षण संस्थ,मुंबई

४) शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय,मुंबई ५) आयुष ,संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई

६) म.आ पोदार रुग्णालय, मुंबई ७) रा.आ.पोदार वैद्यक महाविद्यालय,(आयु), मुंबई

२. पदांचे नांव :- गट ड (वर्ग-४) समकक्ष पद

३. नामनिर्देशनाने भरावयाची पदांच संख्या :-

४. पदाच्या आरक्षणाचा तपशिल :- विभागीय आयुक्त,(मावक) कोकण विभाग, कोणन भवन,

| प्रवर्ग | पद संख्या | सर्वसाधारण २८% | महिला ३०% | खेडाळू ५% | माजीसैनिक १५% | प्रकल्पग्रस्त ५% | भुकंपग्रस्त २% | अनाथ १% | दिव्यांग ४.००% | एकुण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | १५० | | | | | | | | | |
| अ.जा. (१३%) | | १ | १ | - | - | - | - | - | - | २ |
| अ.ज.(७%) | | १२ | ५ | १ | २ | - | - | - | - | २० |
| विजा अ(३%) | | ६ | २ | १ | - | - | - | - | - | ९ |
| भज ब (२.५०% ) | | ४ | १ | - | २ | - | -. | - | - | ७ |
| भज क (३.५०% ) | | २ | - | - | - | - | - | - | १ | ३ |
| भज ड (२% ) | | २ | २ | १ | - | १ | - | - | - | ६ |
| विमाप्र (२% ) | | - | ३ | १ | - | - | - | - | - | ४ |
| इमाव (१९% ) | | १८ | १३ | १ | ४ | १ | - | - | - | ३७ |
| साशैमाप्र (१०% ) | | १० | ५ | १ | १ | - | - | - | - | १७ |
| आ.द.मा. (१०% ) | | ६ | ४ | १ | ३ | - | - | - | - | १४ |
| अराखीव (२८% ) | | १४ | ६ | १ | ४ | २ | २ | १ | २ | ३२ |
| एकुण (१००%) | · | ७५ | ४२ | ८ | १६ | ४ | २ | १ | ३ | १५१ |

## म.आ.पोदार रुग्णालय, मुंबई

| प्रवर्ग | पद संख्या | सर्वसाधारण २८% | महिला ३०% | खेडाळू ५% | माजीसैनिक १५% | प्रकल्पग्रस्त ५% | भुकंपग्रस्त २% | अनाथ १% | अंशकालीन कर्मचारी १०% | दिव्यांग ४.०० % | एकुण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ४५ | | | | | | | | | | |
| अ.जा. (१३%) | | ३ | १ | - | - | - | - | - | - | - | ४ |
| अ.ज.(७%) | | २ | १ | - | - | - | - | - | - | - | ३ |
| विजा अ(३%) | | ४ | - | - | - | - | - | - | - | - | ४ |
| भज ब (२.५०%) | | १ | - | - | - | - | - | - | - | - | १ |
| भज क (३.५०%) | | २ | १ | - | - | - | - | - | - | - | ३ |
| भज ड (२%) | | १ | - | - | - | - | - | - | - | - | १ |
| विमाप्र (२%) | | १ | - | - | - | - | - | - | - | - | १ |
| इमाव (१९%) | | ६ | १ | - | १ | - | - | - | - | - | ८ |
| साशैमाप्र (१०%) | | ४ | १ | - | - | - | - | - | - | - | ५ |
| आ.दु.मा. (१०%) | | २ | १ | - | - | - | - | - | - | - | ३ |
| अराखीव (२८%) | | ७ | ३ | - | १ | - | - | - | १ | - | १२ |
| एकुण (१००%) | | ३३ | ९ | ० | २ | ० | ० | ० | १ | ० | ४५ |

## आ.पोदार वैद्यक महाविद्यालय, (आयु) मुंबई

| प्रवर्ग | पद संख्या | सर्वसाधारण २८% | महिला ३०% | खेडाळू ५% | माजीसैनिक १५% | प्रकल्पग्रस्त ५% | भुकंपग्रस्त २% | अनाथ १% | दिव्यांग ४.००% | एकुण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | १५ | | | | | | | | | |
| अ.जा. (१३%) | | १ | - | - | - | - | - | - | - | १ |
| अ.ज.(७%) | | - | - | - | - | - | - | - | - | ० |
| विजा अ(३%) | | - | - | - | - | - | - | - | - | ० |
| भज ब (२.५०%) | | १ | - | - | - | - | - | - | - | १ |
| भज क (३.५०%) | | १ | - | - | - | - | - | - | - | १ |
| भज ड (२%) | | १ | - | - | - | - | - | - | - | १ |
| विमाप्र (२%) | | १ | - | - | - | - | - | - | - | १ |
| इमाव (१९%) | | ३ | २ | - | - | - | - | - | - | ५ |
| साशैमाप्र (१०%) | | २ | - | - | - | - | - | - | - | २ |
| आ.दु.मा. (१०%) | | १ | - | - | - | - | - | - | १ | २ |
| अराखीव (२८%) | | १ | - | - | - | - | - | - | - | १ |
| एकुण (१००%) | | १२ | २ | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १५ |

(दिव्यांग प्रवर्गाऋ या दिव्यांग प्रर्वगातील दिव्यांग अर्ज करु शकतील LV=Low Vision, D=Deaf,HH= Hard of Hearing, OL=One Leg, LC=Leprosy Cured, Dw =Dwarfism, AAV=Acid Attack Victims, SLD= Specific Learning Disability.)

Note :- Above Resevation Mention in this chart is Calculated on the Basis of data provided by the Institutes.

**१) सेंट जॉर्जेस रुग्णालय, मुंबई २) नागरी स्वास्थ केंद्र वांद्रे, मुंबई ३) परिचर्या शिक्षण संस्थ, मुंबई**

**४) शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, मुंबई ५) आयुष, संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई**

**६) म.आ पोदार रुग्णालय, मुंबई ६) रा.आ.पोदार वैद्यक महाविद्यालय,(आयु), मुंबई**

नोट :- वरिल पद भरती प्रक्रियेतील पदांमध्ये बदल, आरक्षणात बदल किंवा पदे कमी जास्त करणे तसेच ऐनवेळी जाहितरात भरती प्रक्रीयेला स्थगित किंवा भरती प्रक्रिया रद्द करण्याचे सर्व अधिकार या कर्यालयाने राखुन ठेवले आहेत. त्यासाठी उमेदवारांनी भरलेली शुल्क परत केली जाणार नाही यांची उमेदवारांनी नोंद घ्यावी.

(डॉ.अजय भंडारवार)

अधिष्ठाता, तथा नोडल अधिकारी,

ग्रॅन्ट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मुंबई सर.ज.जी.समुह रुग्णालय, मुंबई